ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2022-2023)

30

सत्रहवीं लोक सभा

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

तीसवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

तीसवाँ प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

14.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

15.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

सीआरडी सं. 184

मूल्यः रुपये.....

© 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (तेरहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ---------- द्वारा मुद्रित ।

विषय-सूची

		पृष्ठ सं
	समिति की संरचना	(iii)
	प्राक्कथन	(v)
	प्रतिवेदन	
	भाग-एक	
	व्याख्यात्मक विश्लेषण	
अध्याय		
I.	**प्रस्तावना**	1
	(क) प्रस्तावना	1
	(ख) भूमि संसाधन विभाग की भूमिका	1
II.	**अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच**	3
	(क) कुल निधि आबंटन	3
	(ख) व्यय की तुलना में परिव्यय	4
III.	**योजनावार विश्लेषण**	11
क.	**पनधारा विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)**	11
	(क) राज्यवार जारी निधि	12
	(ख) वास्तविक प्रगति	13
	(ग) वित्तीय प्रगति	19
	(घ) अव्ययित शेष	25
	(ङ) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत निगरानी और मूल्यांकन	29
	(च) अन्य योजनाओं के साथ तालमेल	36
ख.	**डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)**	39
	(क) पृष्ठभूमि	39
	(ख) वास्तविक प्रगति	41
	(ग) वित्तीय प्रगति	46
	(घ) अव्ययित शेष	50

(ङ) वर्तमान स्थिति 53

(च) निगरानी तथा मूल्यांकन 54

(छ) आगामी योजना 56

(ज) मीडिया और प्रचार 58

भाग-दो सिफारिशें 62

अनुबंध

(i) समिति की 09 फ़रवरी 2023 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश 68

(ii) समिति की 13 मार्च 2023 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही उद्दरण 70

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की संरचना

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री शिशिर कुमार अधिकारी
3. श्री ए.के.पी. चिनराज
4. श्री राजवीर दिलेर
5. श्री विजय कुमार दुबे
6. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
7. डॉ. मोहम्मद जावेद
8. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
9. सुश्री एस. जोतीमणि
10. श्री नलीन कुमार कटील
11. श्री नरेन्द्र कुमार
12. श्री जनार्दन मिश्र
13 श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
14. श्री तालारी रंगैय्या
15. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा
16. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
17. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
18. श्री बृजभूषण शरण सिंह
19. डॉ आलोक कुमार सुमन
20. श्री श्याम सिंह यादव
21. श्रीमती डिम्पल यादव

राज्य सभा

22. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला
23. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
24. श्रीमती शांता क्षत्री
25. डॉ. धर्मस्थल वीरेन्द्र हेग्गडे
26. श्री इरण्ण कडाडि
27. श्रीमती रंजीत रंजन

28. श्री नारणभाई जे. राठवा

29. श्री राम शकल

30. श्री बशिष्ठ नारायण सिंह

31. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

1. श्री डी.आर.शेखर - संयुक्त सचिव

2. श्री सी. कल्याणसुंदरम - निदेशक

3. श्री अतुल सिंह - सहायक कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) का सभापति (कार्यकारी), समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 277(3) के अनुसार) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-2024) के संबंध में तीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ङ.(1) (क) के अंतर्गत अनुदानों की मांगों की जांच की गई है।

3. समिति ने 09 फरवरी, 2023 को भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 13 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

5. समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) के अधिकारियों को विषय की जांच के संबंध में समिति द्वारा अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराने तथा अपनी सुविचारित राय व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति, इससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की उनके द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए सराहना करती है।

नई दिल्ली;

13 मार्च, 2023

22 फाल्गुन, 1944 शक

नारणभाई जे. राठवा
कार्यकारी सभापति
ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी
स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग एक

व्याख्यात्मक विश्लेषण

अध्याय एक

(क) <u>प्रस्तावना</u>

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति लोक सभा की विभागों से सम्बद्ध सोलह स्थायी समितियों में से एक है जिसका मुख्य कार्य इसके कार्यक्षेत्र से संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मांगे गए अनुदानों की मांगों की जांच करना तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन योजनाओं की भी जांच करना है। वर्तमान प्रतिवेदन लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ड़(1)(क) के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदान की मांगों की जांच से संबंधित है।

(ख) <u>भूमि संसाधन विभाग की भूमिका</u>

भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: (i) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन की प्रक्रिया के लिए वर्षा सिंचित/अवक्रमित भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना, (ii) एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली नामक एक व्यापक भूमि शासन प्रणाली को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का समर्थन करना। (iii) भूमि सुधारों और भूमि से संबंधित अन्य मामलों जैसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर), पंजीकरण अधिनियम, 1908 और राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 आदि का कार्यान्वयन करना। वर्तमान में, भूमि संसाधन विभाग दो योजनाओं / कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई)

(ii) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)

वित्तीय वर्ष (2023-2024) के लिए भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की विस्तृत अनुदान की मांगों को 07 फरवरी, 2023 को लोक सभा के सभा-पटल पर रखा गया था। वर्ष 2023-24 की मांग संख्या 88 के बजट अनुमानों (बीई) में 24.19 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। यह आबंटन 2022-23 के बजट अनुमान से 7% अधिक और 2022-23 के संशोधित अनुमान से 92% अधिक है।

समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भूमि संसाधन विभाग की अनुदान की मांगों की गहराई से जांच की है और तत्संबंधी विचार-विमर्श प्रतिवेदन के अगले अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन के अंत में दी गई हैं। समिति आशा करती है कि मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निधियों के उचित और समय रहते उपयोग के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। समिति भूमि संसाधन विभाग से अपेक्षा करती है कि वह समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को सकारात्मक रूप से लेगा और उन पर शीघ्रता से कार्य करेगा तथा इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने की तिथि से तीन महीने के भीतर प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई सम्बधी उत्तर प्रस्तुत करेगा।

अध्याय दो

अनुदानों की मांगों की जांच (2023-24)

(क) <u>कुल निधि आबंटन</u>

(रु. करोड़ में)

स्कीम/कार्यक्रम का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान 2022-23	संशोधित अनुमान 2022-23	बजट अनुमान 2023-24
स्कीम				
1. **डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई का वाटेरशेड विकास घटक**				
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई) 2.0	2501	41.12	14.01	34.07
	3601	1697.00	869.084	1864.23
	3602	44.00	9.532	47.49
i) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना -अभिनव विकास के माध्यम से कृषीय समुत्थान हेतु वाटरशेड नवीकरण (रिवार्ड)	2501	17.88	5.60	19.00
डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	200.00	101.861	220.00
उप योग-(क)=		2000.00	1000.08	2200.00
2. **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)**	2506	215.33	215.33	176.17
डीआईएलआरएमपी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	23.92	23.92	19.58
उप-योग (ख)=		**239.25**	**239.25**	**195.75**

स्कीम/कार्यक्रम का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान 2022-23	संशोधित अनुमान 2022-23	बजट अनुमान 2023-24
कुल-योजनाएं (क+ख): (भूमि संसाधन)		**2239.25**	**1239.33**	**2395.75**
गैर-योजना				
3. सचिवालय-आर्थिक सेवा	3451	20.09	20.67	23.48
उप-योग - गैर-स्कीम (ग)=		**20.09**	**20.67**	**23.48**
कुल योग (क+ख+ग)=		**2259.34**	**1260.00**	**2419.23**

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2023-24 के लिए भूमि संसाधन विभाग (मांग संख्या 88) का बजट आबंटन 2419.23 करोड़ रुपये है जिसमें 2395.75 करोड़ रुपये का कुल योजना घटक और 23.48 करोड़ रुपये का गैर-योजना घटक शामिल है। यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2023-24 के योजना घटक में बजट अनुमान चरण में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान की तुलना में 159.89 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान (बीई) चरण में आबंटित राशि 2259.34 करोड़ रुपए थी जिसे आगे संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 1260.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था।

(**ख**) **<u>व्यय की तुलना में परिव्यय</u>**

पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रतिशत वृद्धि दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**स्कीम/कार्यक्रम का नाम**	**2021-22**		**2022-23**		**2022-23**	**2023-24**	
		बजट अनुमान	**% वृद्धि**	**बजट अनुमान**	**% वृद्धि**	**संशोधित अनुमान**	**बजट अनुमान**	**% वृद्धि**
1	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास घटक)	2000.00	--	2000.00	--	1000.08	2200.00	(+)10%
2	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम	150.00	--	239.25	59.5%	239.25	195.75	(-) 18.18%

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	2021-22		2022-23		2022-23	2023-24	
		बजट अनुमान	% वृद्धि	बजट अनुमान	% वृद्धि	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	% वृद्धि
	(डीआईएलआरएमपी)							
	कुल योजना	**2150.00**		**2239.25**		**1239.33**	**2395.75**	

2.2 जैसा कि उपर्युक्त कथन में स्पष्ट है, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के लिए बजटीय आवंटन में 10% की वृद्धि हुई है जबकि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के लिए आबंटन में पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 18.18% की कमी आई है।

2.3 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के लिए विगत वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट अनुमान में कमी तथा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान चरण में वृद्धि के कारणों और बढ़े हुए धन आबंटन का उपयोग करने की कार्य योजना का विवरण पूछे जाने पर, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने अपने लिखित उत्तर में कहा: -

> "सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 8134 करोड़ रुपए के केन्द्रीय आबंटन के साथ दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को 'डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई **2.0'** को जारी रखने की मंजूरी दी गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई **2.0'** के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में दी गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपनी संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उपाय करने थे। इसके अलावा, सरकार ने योजना के तहत निधियों को जारी/उपयोग करने के लिए पीएफएमएस को अनिवार्य कर दिया है जिसके लिए वित्त मंत्रालय के नवीनतम दिशानिर्देशों के आधार पर विभागीय स्तर पर और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर पीएफएमएस के बुनियादी ढांचे को नया रूप देना आवश्यक हो गया है। अनुभव दर्शाते हैं कि इस कार्य के कारण केंद्रीय स्तर पर निधि जारी करने और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर व्यय/करने में देरी हुई। वित्त मंत्रालय के दिनांक 31.03.2021 के निर्देशानुसार केंद्रीय अनुदान को 25% की चार समान किश्तों में जारी किया जाएगा और अगली किश्त जारी करने

के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को पिछली किश्त के कम से कम 75% का उपयोग करना अपेक्षित होगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में ही धनराशि जारी की थी और चूंकि यह योजना अपने प्रारंभिक चरण में थी, इसलिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अनुदान का दावा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई राज्य /संघ राज्य क्षेत्र वित्त वर्ष 2021-22 में जारी केन्द्रीय हिस्से को वर्ष 2022-23 के मध्य में राज्य के समतुल्य हिस्से के साथ भी प्राप्त कर सके। इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को तैयार करने के लिए कम से कम 4 से 6 माह की समयावधि की आवश्यकता होती है जो कि फील्ड कार्यों को आरंभ करने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) कार्य चरण के स्तर पर पहुंचने के लिए पूर्वापेक्षा है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रमुख संसाधन आवश्यकता कार्य चरण में है। इस समय, अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनआरएम के चरण तक पहुंच चुके हैं, इसलिए, यह आशा है कि निकट भविष्य में भौतिक और वित्तीय उपलब्धि की गति में तेजी आएगी। नई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना की अवधि 3 से 5 वर्ष है और तद्नुसार, केंद्रीय अनुदान का आबंटन अधिकतम 5 वर्ष के लिए किया गया था। प्रतिशत के अनुसार वर्षवार आबंटन प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए 25%, चौथे वर्ष के लिए 15% और अंतिम वर्ष के लिए शेष 10% निर्धारित किया गया था। योजना के कैबिनेट नोट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 15वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) की अवधि के लिए डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के लिए केंद्रीय हिस्से का परिव्यय 2200 करोड़ रुपये रखा गया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित निधि की आवश्यकता कैबिनेट नोट और योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। वित्त वर्ष 2023-24, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत परियोजना के कार्यान्वयन का दूसरा/तीसरा वर्ष होगा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की गति जोरों पर होगी। यह योजना के तहत व्यय को वांछनीय गति से बढ़ाएगा, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आबंटित निधि का प्रभावी उपयोग हो पाएगा। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) समग्र बजटीय प्रक्रिया के भाग के रूप में तय किए जाते हैं। आज की स्थिति के अनुसार संशोधित अनुमान 2022-23 की राशि में से 505.58 करोड़ रुपये का उपयोग कर लिया गया है और 345.22 करोड़ रुपये की राशि को जारी करने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। इस प्रकार, जनवरी, 2023 के अंत तक,

आबंटित संशोधित अनुमान (आरई) राशि का लगभग 85% उपयोग किए जाने की संभावना है।"

2.4 पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के बजट अनुमान चरण में डीआईएलआरएमपी के लिए आबंटित निधि में 43.50 करोड़ रुपये (18.18%) की कमी के संबंध में, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि:

"भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के रूप में 195.75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 219.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है (20 जनवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार)। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अगली किस्तों के लिए प्रस्ताव भेजे जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, यह विभाग निम्नलिखित दो नए घटकों के तहत निधियों को जारी करने के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पत्राचार कर रहा है;

1. भूमि अभिलेख डाटाबेस के साथ आधार संख्या का सहमति आधारित एकीकरण और
2. राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण और भूमि अभिलेखों के साथ उनका एकीकरण।

इसके अलावा, अनुमोदित ईएफसी के अनुसार, पिछले दो वर्षों में 875 करोड़ रुपये (वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) में से 469 करोड़ रुपए की राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही जारी की जा चुकी है। 406 करोड़ रुपए की शेष राशि को वित्त वर्ष 2025-26 तक अगले तीन वर्षों में जारी किया जाएगा। इसलिए, वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में 195.75 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।"

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान/संशोधित अनुमान में भिन्नता और वास्तविक व्यय

(करोड़ रु. में)

स्कीम/कार्यक्रम का नाम	मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान 2022-23	संशोधित अनुमान 2022-23	वास्तविक** दिनांक 17.01.2023 की स्थिति के अनुसार
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)	2501	59.00*	19.603	14.83
	3601	1697.00	869.084	399.415
	3602	44.00	9.532	0
उप-योग (क) =		**1800.00**	**898.219**	**414.245**
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)	2506	215.33	215.33	219.99
उप-योग (ख)=		**215.33**	**215.33**	**219.99**
स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान				
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)	2552	200.00	101.861	-
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)	2552	23.92	23.92	-
उप-योग (ग)=		**223.92**	**125.781**	**-**
कुल-स्कीम (क+ख+ग): (भूमि संसाधन)		**2239.25**	**1239.33**	**634.235**
गैर-स्कीम				
सचिवालय - आर्थिक सेवा	3451	20.09	20.67	16.60
उप -योग- गैर-स्कीम (घ)=		**20.09**	**20.67**	**16.60**
कुल योग(क+ख+ग+घ)=		**2259.34**	**1260.00**	**650.835**

* बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक - रिवार्ड सहित

** शीर्ष 2552 के तहत किए गए व्यय को उनके कार्यात्मक शीर्षों के माध्यम से बुक किया जाता है।

2.5 बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और योजनाओं के तहत वास्तविक व्यय में भिन्नता के कारण बताते हुए भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि:-

"डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई: पहले से ही स्वीकृत परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई। चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान की गई थीं; इसलिए, इस अवधि के दौरान निधियों की मांग डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 में निधियों की मांग आवश्यकता पर आधारित थी। वर्ष 2020-21 के दौरान अधिकांश परियोजनाओं का कार्य चरण या तो पूरा हो गया था या पूरा होने के अग्रिम चरण में था। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत किसी भी निधि को जारी किए बिना योजना की अवधि 31.12.2022 तक बढ़ा दी गई थी। सरकार द्वारा डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई को 15 दिसंबर 2021 को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 8134 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ "डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0" के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी गई। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया और उक्त के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को केवल 2021-22 की अंतिम तिमाही के दौरान ही निधि जारी की गई थी। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) समग्र बजटीय प्रक्रिया के भाग के रूप में तय किए जाते हैं।

डीआईएलआरएमपी: किसी वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान (बीई), समग्र बजटीय प्रक्रिया के एक भाग के रूप में तय किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान, डीआईएलआरएमपी के अन्तर्गत पर्याप्त राशि जारी की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान, स्कीम की अवधि को बढ़ाने का अनुमोदन संप्रेषित (जुलाई, 2018) करते समय, यह सूचित किया गया था कि वित्त पोषण पद्धति को अग्रिम आधार से प्रतिपूर्ति आधार में बदल दिया गया था (तथापि, केवल प्रथम किश्त के लिए प्रारंभिक अग्रिम के रूप में 30 प्रतिशत अग्रिम की अनुमति दी गई थी)। इससे, निधियों को जारी किए जाने पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निधियां जारी करने हेतु बहुत कम प्रस्ताव प्राप्त हुए।तथापि, व्यय विभाग ने वित्त

पोषण पद्धति को प्रतिपूर्ति आधार से अग्रिम आधार में पुनः प्रारंभ करने का अनुमोदन तथा विभिन्न घटकों, जैसे कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू), सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण और कोर जीआईएस को 03.01.2020 से पुनः आरंभ करने का भी अनुमोदन किया, जिसके कारण यह विभाग आबंटित राशि का भरपूर उपयोग कर सका।"

अध्याय तीन

योजना वार विश्लेषण

क. वाटरशेड विकास घटक - प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)

एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) को वर्ष 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के रूप में सम्मिलित कर दिया गया था। डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई वर्षासिंचित और अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए है। इस कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यकलापों में अन्य के साथ-साथ, रिज क्षेत्र उपचार, जल निकास लाइन उपचार, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचय, नर्सरी लगाना, वनरोपण, बागवानी, चारागाह विकास, सम्पत्तिविहीन लोगों के लिए आजीविका, आदि शामिल हैं।

3.2 **डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0:** डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत, भूमि संसाधन विभाग द्वारा जम्मू और कश्मीर सहित 27 राज्यों (गोवा को छोड़कर) में 29.57 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से संबंधित 6382 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया था। सभी चालू परियोजनाओं को पूरा किए जाने को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2015-16 से डब्ल्यूडीसीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत किसी भी नई परियोजना को स्वीकृत नहीं किया गया था। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 की बढ़ाई गई परियोजना अवधि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो गई। भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्त पोषित 6382 परियोजनाओं में से, 6376 (99.91%) के पूरा होने की सूचना प्राप्त हुई है, शेष 6 परियोजनाएं राज्य स्तर पर कुछ कानूनी/प्रशासनिक तकनीकी समस्याओं के कारण रुकी हुई हैं (दिनांक 10.01.2023 की स्थिति के अनुसार)।

3.3 **डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0:** सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2021 को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई को वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए वर्षा सिंचित और अवक्रमित भूमि के विकास के लिए 8134 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ "डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0" के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी गई। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 (4.95 मिलियन हेक्टेयर; 8134 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के अनुरूप) का लक्ष्य राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) की वर्ष 2020 में प्रकाशित "भारत में विकास योजना के लिए जिलों की प्राथमिकता" नामक रिपोर्ट के समग्र निर्देशिका मानदंड तथा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य मानदंडों को ध्यान में रखते हुए आबंटित किया गया था। संचालन समिति ने लगभग 4.94 मिलियन हेक्टेयर भूमि से संबंधित, 28 राज्यों और संघ

राज्य क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख) में 1110 परियोजनाओं का मूल्यांकन कर स्वीकृति दी है। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, भूमि संसाधन विभाग द्वारा डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1568.38 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि जारी की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण का अनुपात 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों के लिए यह 90:10 है, और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए केंद्रीय हिस्सा 100% है।

(क) <u>राज्य-क्षेत्र वार जारी की गई निधियां</u>

3.4 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत राज्य-क्षेत्र वार स्वीकृत परियोजनाएं और जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**परियोजनाओं की संख्या**	**क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर**	**परियोजना लागत (रु. करोड़ में)**	**केन्द्रीय हिस्सा (रु. करोड़ में)**	**जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा (रु. करोड़ में) (31.12.2022 तक)**
1	आंध्र प्रदेश	59	2.4441	563.11	337.87	45.74
2	अरुणाचल प्रदेश	66	1.4592	408.56	367.71	58.02
3	असम	29	1.2857	293.00	263.70	43.49
4	बिहार	34	1.6663	427.04	256.22	112.94
5	छत्तीसगढ़	45	2.5050	613.66	368.20	63.3
6	गुजरात	51	2.9237	687.81	412.68	25.79
7	गोवा	5	0.1999	55.96	33.58	2.1
8	हरियाणा	9	0.3122	80.59	48.36	6.04
9	हिमाचल प्रदेश	26	0.5400	151.20	136.08	14.94
10	झारखंड	30	1.4800	393.53	236.12	27.28
11	कर्नाटक	57	2.7501	642.26	385.36	168.31
12	केरल	6	0.2616	73.26	43.95	13.25
13	मध्य प्रदेश	82	4.9467	1088.27	652.96	247.65
14	महाराष्ट्र	144	5.6519	1335.57	801.34	50.08
15	मणिपुर	13	0.5869	164.33	147.90	9.24
16	मेघालय	28	0.5473	153.24	137.92	60.8

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर	परियोजना लागत (रु. करोड़ में)	केन्द्रीय हिस्सा (रु. करोड़ में)	जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा (रु. करोड़ में) (31.12.2022 तक)
17	मिजोरम	18	0.4460	124.88	112.39	28.44
18	नागालैंड	5	0.2000	56.00	50.40	26.51
19	ओडिशा	50	2.7851	724.02	434.41	123.18
20	पंजाब	7	0.2887	80.83	48.50	8.33
21	राजस्थान	145	7.4978	1857.70	1114.62	282.56
22	सिक्किम	6	0.2000	56.00	50.40	8.66
23	तमिल नाडु	27	1.3033	286.73	172.04	32.17
24	तेलंगाना	34	1.4195	357.66	214.59	27.6
25	त्रिपुरा	13	0.2000	56.00	50.40	20.3
26	उत्तर प्रदेश	53	2.6396	580.71	348.43	21.78
27	उत्तराखंड	12	0.7023	196.65	176.98	11.06
28	पश्चिम बंगाल	27	1.2920	350.60	210.36	13.15
	संघ राज्य क्षेत्र					
29	जम्मू और कश्मीर	18	0.6783	189.92	189.92	11.87
30	लद्दाख	11	0.2174	60.86	60.87	3.8
कुल योग		**1110**	**49.4303**	**12110**	**7864.25**	**1568.38**

^ राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार

(ख) वास्तविक प्रगति:

3.5 वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक, 6.56 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया था। 14.54 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षणात्मक सिंचाई के तहत लाया गया है। उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित किसानों की संख्या 31.93 लाख थी। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत वर्ष 2018-19 और 2021-22 के दौरान, 1.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण (वनीकरण/बागवानी) के तहत लाया गया है, 3.36

लाख हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि को निरूपित गया है तथा 388.66 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं।

3.6 यह पूछे जाने पर कि क्या डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> "डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत स्वीकृत 8214 परियोजनाओं में से, 345 आरंभ न की गई परियोजनाओं और तैयारी चरण की 1487 परियोजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने राज्यों के बजट से आरंभ करने के लिए अंतरित किया गया था। इस विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही शेष 6382 परियोजनाओं में से, 6376 (99.91%) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष 6 परियोजनाएं राज्य स्तर पर कुछ कानूनी/प्रशासनिक तकनीकी समस्याओं के कारण रुकी हुई हैं। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक, भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्तपोषित डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत 6382 परियोजनाओं के माध्यम से, 6.56 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया था। 14.54 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षणात्मक सिंचाई के तहत लाया गया है। उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित किसानों की संख्या 31.93 लाख है। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत वर्ष 2018-19 और 2021-22 के दौरान, 1.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण (वनीकरण/बागवानी) के तहत लाया गया है, 3.36 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि को निरूपित गया है तथा 388.66 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए सभी लक्ष्यों को भी पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है।"

3.7 अनुदान मांगों 2023-24 पर भूमि संपदा विभाग के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान विभाग ने समिति के समक्ष निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए:

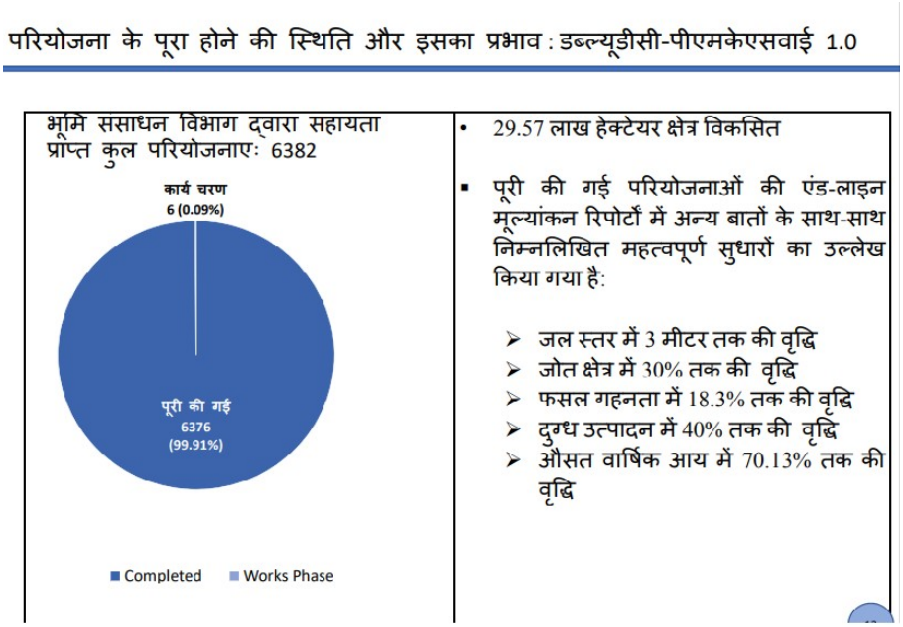

परियोजना के पूरा होने की स्थिति और इसका प्रभाव : डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0

भूमि संसाधन विभाग द्वारा सहायता प्राप्त कुल परियोजनाएः 6382

- 29.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र विकसित
- पूरी की गई परियोजनाओं की एंड-लाइन मूल्यांकन रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधारों का उल्लेख किया गया है:
  - जल स्तर में 3 मीटर तक की वृद्धि
  - जोत क्षेत्र में 30% तक की वृद्धि
  - फसल गहनता में 18.3% तक की वृद्धि
  - दुग्ध उत्पादन में 40% तक की वृद्धि
  - औसत वार्षिक आय में 70.13% तक की वृद्धि

3.8 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत स्वीकृत और पूर्ण की गई परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	कुल स्वीकृत परियोजनाएं	दिनांक 08.02.2018 को राज्य को अंतरित	दिनांक 01.08.2018 को राज्य को अंतरित तैयारी चरण	भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना	31.12.2022# की स्थिति के अनुसार		
						कार्य चरण	समेकन चरण	समापन की सूचना प्राप्त हुई (समापन की प्रशासनिक रिपोर्ट प्राप्त
1	आंध्र प्रदेश	432	0	59	373	01	01	371
2	अरुणाचल	156	0	42	114	00	00	114
3	असम	372	0	92	280	00	00	280
4	बिहार	123	0	59	64	00	00	64
5	छत्तीसगढ	263	0	55	208	00	00	208
6	गुजरात	610	61	60	489	00	00	489
7	हरियाणा	88	13	0	75	00	00	75
8	हिमाचल प्रदेश	163	0	32	131	00	00	131
9	झारखंड	171	28	0	143	00	00	143
10	कर्नाटक	571	2	140	429	00	00	429
11	केरल	83	0	14	69	00	00	69
12	मध्य प्रदेश	517	3	68	446	00	00	446
13	महाराष्ट्र	1186	6	156	1024	00	00	1024
14	मणिपुर	102	0	41	61	00	00	61
15	मेघालय	96	12	23	61	00	00	61
16	मिजोरम	89	0	40	49	00	00	49

क्र. सं.	राज्य	कुल स्वीकृत परियोजनाएं	दिनांक 08.02.2018 को राज्य को अंतरित	दिनांक 01.08.2018 को राज्य को अंतरित तैयारी चरण	भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना	31.12.2022# की स्थिति के अनुसार		
						कार्य चरण	समेकन चरण	समापन की सूचना प्राप्त हुई (समापन की प्रशासनिक रिपोर्ट प्राप्त
17	नागालैंड	111	0	0	111	00	00	111
18	ओडिशा	310	0	76	234	00	00	234
19	पंजाब	67	8	26	33	00	00	33
20	राजस्थान	1025	41	164	820	03	00	817
21	सिक्किम	15	4	5	6	00	00	6
22	तमिल नाड	270	0	0	270	00	00	270
23	तेलंगाना	330	0	54	276	01	00	275
24	त्रिपरा	65	0	9	56	00	00	56
25	उत्तराखंड	65	0	3	62	00	00	62
26	उत्तर प्रदेश	612	125	238	249	00	00	249
27	पश्चिम बंगाल	163	42	2	119	00	00	119
28	जम्मू और कश्मीर संघ	144	0	25	119	00	00	119
29	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	15	0	4	11	00	00	11
	कुल	**8214**	**345**	**1487**	**6382**	**05**	**01**	**6376**

राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार।

3.9 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 से मिली प्रमुख सीखों और प्राप्त अनुभव के आधार पर डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 की रूपरेखा में किए गए परिवर्तनों के बारे में विवरण देते हुए, डीओएलआर ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि:

> " नीति आयोग की तरफ से मैसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने आरईईएसआई मानकों के आधार पर स्कीम का मूल्यांकन किया और इस योजना को जारी रखने के लिए उपयुक्त पाया। तथापि, अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि यह स्कीम 'निरंतरता' की चुनौतियों का सामना कर रही थी। मैसर्स केपीएमजी की टिप्पणियों और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग ने आगामी डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के लिए नए दिशा-निर्देशों को तैयार करने हेतु राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की सेवाएं प्राप्त की हैं।"

3.10 विभाग ने आगे बताया कि:

“डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 का नई पीढ़ी की वाटरशेड परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन किया जा रहा है। नए दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं और अभिकल्पित सुधार शामिल हैं:

- पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र के लिए संशोधित लागत मानदंड 28,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर, अन्य क्षेत्रों के लिए 22,000/-रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में वाटरशेड परियोजनाओं के लिए 28,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक।
- परियोजनाओं की डीपीआर वास्तविक आवश्यकता पर आधारित होगी। केंद्र द्वारा प्रस्तावित प्रति इकाई लागत, और इससे अधिक लागत को राज्यों द्वारा समामेलन के माध्यम से या अपने स्वयं के बजट से पूरा किया जाना है।
- कार्यान्वयन से पूर्व सभी नियोजित कार्यकलापों की जियो-टैगिंग, आउटकम और प्रभावोन्मुख और उपयोगकर्ता-केंद्रित निगरानी (पहले और बाद में)।
- परियोजना की अवधि को 4-7 वर्ष से घटाकर 3-5 वर्ष कर दिया गया है।
- परियोजना के नियोजन चरण से ही किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को शुरू करना।
- मुख्य रूप से यांत्रिक/इंजीनियरिंग उपचारों से अधिक जैविक उपायों की ओर परिवर्तन।
- लैंडस्केप इकोसिस्टम रीजनरेशन अप्रोच- जीएचजी रिडक्शन, सरफेस और सब सरफेस कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन - यूएनएफसीसीसी, यूएनसीसीडी, एसडीजी, एनडीसी आदि से जुड़ी प्रतिबद्धता की दिशा में काम करना।
- बागवानी, वनीकरण, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि के साथ एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाकर वाटरशेड अर्थव्यवस्था का विविधीकरण।
- वाटरशेड परियोजनाओं में नए कार्यकलाप के रूप में स्प्रिंग-शेड विकास को शुरू किया गया।
- स्वीकृत परियोजनाओं की कम से कम 10% राशि को बिल्डिंग लैंड रिसोर्स इन्वेन्ट्री के लिए रखा गया।
- जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर केंद्रित प्रयास।
- वर्षा ऋतु से पूर्व और बाद में एक-एक सहभागी जल-बजट किया जाएगा।

- वृक्षारोपण और बागवानी कार्यकलापों पर जोर - वाटरशेड परियोजना क्षेत्रों के 20% तक भाग में वृक्षारोपण और बागवानी करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी किए गए।
- विभिन्न जलवायु दबावों के प्रति फसल सहनशीलता को बढ़ावा देना।"

3.11 **डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0**

संकेतक/ मापदंड	**डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 (2022-23- सितम्बर, 2022 तक)**
अवक्रमित भूमि और वर्षा सिंचित क्षेत्र का विकास (हेक्टेयर में)	72,063.90
मृदा तथा नमी संरक्षण कार्यकलापों के तहत शामिल किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	63,165.71
वृक्षारोपण (वनीकरण/बागवानी आदि) के तहत लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	27,596.98
नई सृजित / पुनरुद्धार की गई जल संचयन संरचनाओं की सं.	4,139
विविधिकृत फसलों/ फसलन प्रणालियों में परिवर्तन के अधीन लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	3,963.49
शून्य/एकल फसल से दोहरी अथवा अधिक फसल के अधीन लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	2,705.30
फसली क्षेत्र में वृद्धि (हेक्टेयर में)	3,167.39
लाभान्वित किसानों की संख्या	1,03,437
संरक्षणात्मक सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	13,239.61
सृजित मानव दिवसों की संख्या (मानव-दिवस)	17,59,897

3.12 यह पूछे जाने पर कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत विकसित किए जाने वाले 49.43 लाख हेक्टेयर भूमि में से केवल 72063.9 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किए गए है, क्या पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत 2025-26 तक पूरे लक्षित क्षेत्र को विकसित करना संभव है, डीओएलआर ने अपने लिखित उत्तर में सूचित किया कि:

> "डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख) के लिए लगभग 4.94 मिलियन हेक्टर क्षेत्र को

शामिल करते हुए कुल 1110 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 में शामिल केंद्रीय हिस्सा 7864.25 करोड़ रु है। मैदानी क्षेत्रों के लिए 22,000 प्रति हेक्टर, पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों (मरुस्थल क्षेत्र) के लिए 28,000 प्रति हेक्टर तथा एलडबल्यूपी/आईएपी जिलों के लिए 28,000 रुपए प्रति हेक्टर तक की परियोजना लागत का अनुमान है। परियोजना क्षेत्र और प्रत्येक परियोजना की लागत के आधार पर, केंद्रीय हिस्से का अनुमान लगाया गया है और इसे सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन के साथ केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को आवंटित किया गया है। जैसा कि योजना के दिशा-निर्देशों में बताया गया है, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना डीपीआर तैयार करें और क्षेत्रों में परियोजना कार्यों का कार्यान्वयन करें। वर्ष 2025-26 तक संपूर्ण लक्षित क्षेत्र का विकास करना संभव है। राष्ट्रीय समीक्षा बैठक और क्षेत्रीय समीक्षा बैठक से यह देखा गया है कि वर्ष 2025-26 के अंत तक वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने सभी संसाधन लगा रहे हैं।“

3.13 यह पूछे जाने पर कि क्या बजटीय आवंटन का वर्तमान स्तर 2025-26 से पहले सभी चिह्नित भूमि को विकसित करने के लिए पर्याप्त है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में कहा:

“अधिकांश राज्यों ने आरंभिक कार्यकलापों अर्थात डीपीआर, आईईसी और ईपीए को पूरा कर लिया है और वे कार्य चरण (एनआरएम) में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए उपलब्धि की गति अभी और बढ़ेगी। यह उल्लेख करना है कि सूचित की गई भौतिक उपलब्धियां वित्त वर्ष 2022-23 की केवल दो तिमाहियों की हैं। चूंकि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र परियोजनाओं का जोर-शोर से कार्यान्वयन कर रहे हैं, इसलिए वर्ष 2025-26 तक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आने वाले वित्तीय वर्ष में अधिक निधि की आवश्यकता होगी। वर्ष 2023-24 के लिए 2200 करोड़ रुपये के बजट अनुमान (बीई) के आंकड़े को अगले वित्त वर्ष में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्य निष्पादन/निधि के उपयोग के आधार पर संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर संशोधित करने की आवश्यकता होगी।”

(ग) <u>वित्तीय प्रगति</u>:

3.14 पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में 31.12.2022 तक सभी स्कीमों के तहत राज्य-वार कुल आवंटित निधि/जारी की गई निधि/वित्तपोषण पद्धति को नीचे तालिका में दिखाया है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी की गई राशि	जारी संशोधित अनुमान का प्रतिशत
2019-20	2066.00	1732.97$	1478.64*	85.32
2020-21	2000.00	1000.00	998.36*	99.83
2021-22	2000.00	1216.00	1195.97^	98.35
2022-23	2000.00	1000.08	413.42^	41.34

* डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत जारी राशि

^ डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत जारी राशि

$ इसके अतिरिक्त, नीरांचल परियोजना के लिए 105 करोड़ रु. प्रदान किए गए। इस परियोजना को दिनांक 22.07.2019 से बंद कर दिया गया है। केवल 0.1913 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे और शेष 104.8087 करोड़ रुपए की राशि वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित की गई है।

3.15 वर्ष 2022-23 के दौरान, 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, 1000.08 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान की तुलना में केवल 413.42 करोड़ रु. (41.34%) का ही उपयोग किया गया है। निधियों के उपयोग में कमी के कारण और क्या विभाग 31.03.2023 तक शेष आबंटित निधियों का व्यय कर पाएगा के बारे में पूछा गया तो विभाग ने लिखित में निमन्वत्त उत्तर दिया:

"डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत धनराशि को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जारी किया जाता है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाएं तैयारी/प्रारंभिक चरणों में हैं और उन्हें अपनी अपेक्षित भौतिक और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने में आवश्यक समय लग रहा है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 की पद्धति और दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्य चरण को शुरू करने के लिए, गुणवत्तायुक्त डीपीआर को तैयार करने और आरंभिक कार्यकलापों का संकलन करने हेतु आरंभिक 6 से 8 माह की अवधि की आवश्यकता होती है। मुख्य संसाधनों का कार्य चरण (एनआरएम) में उपयोग किया जाता है। इसलिए पिछले 6 से 8 महीनों के दौरान कम राशि व्यय की गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आरंभिक कार्यकलापों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आईईसी, ईपीए और डीपीआर शामिल हैं, को पूरा कर लिया है और अधिकांश परियोजनाएं अब कार्य चरण में हैं/होंगी। इसलिए, आशा की जाती है कि

इस वित्त वर्ष के शेष भाग के दौरान वांछित भौतिक और वित्तीय प्रगति को प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के दिनांक 31.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अगली किश्त का दावा पहले जारी की गई धनराशि का 75% भाग उपयोग करने के बाद ही किया जाएगा। क्योंकि इस विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में ही धनराशि जारी की है और यह स्कीम अपने आरंभिक/प्रारंभिक चरण में थी इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पहले जारी की गई राशि का कम उपयोग कर पाने के कारण निधियों का दावा नहीं कर सके। अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2021-22 में जारी किए गए केन्द्रीय हिस्से को राज्य के मैचिंग हिस्से के साथ वर्ष 2022-23 के मध्य में प्राप्त किया था। तथापि, स्कीम के कार्यान्वयन की विभाग स्तर पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, राष्ट्रीय स्तर की बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा और वरिष्ठ और कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।विभाग जनवरी, 2023 के अंत तक, आरई आवंटन 2022-23 का लगभग 85% भाग जारी करने की उम्मीद कर रहा है। आज तक की स्थिति के अनुसार, 505.58 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है और 345.22 करोड़ रुपए की राशि को जारी करने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। इसलिए, यह आशा की जाती है कि शेष राशि का इस वित्त वर्ष के अंत तक उपयोग कर लिया जाएगा।"

3.16 वास्तविक व्यय, संशोधित अनुमानों के साथ वापस की गई राशि के कारण:

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के संदर्भ में अभ्यर्पित राशि	कमी का कारण
1	2019-20	2066.00	1732.97 $	1478.45	254.52	पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी। उक्त अवधि के लिए चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान की गई थीं।
2	2020-21	2000.00	1000.00	998.36	1.64	
3	2021-22	2000.00	1216.00	1195.97#	19.39	सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी "डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0" का अनुमोदन दिया। तदनुसार, परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई तथा 2021-22 की अंतिम तिमाही में निधि जारी की गई।
4	2022-23	2000.00	1000.08	413.42*	लागू नहीं	वित्त मंत्रालय के दिनांक 31.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, अगली किस्त की मांग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहली किस्त के 75% का उपयोग करने के बाद ही की जाएगी।

						चूंकि विभाग ने पिछली तिमाही में ही इसे जारी किया है, और यह योजना अपने प्रारंभिक चरण में है, इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जारी की गई निधियों के धीमे उपयोग के कारण निधियों की मांग नहीं कर सके थे।

0.64 करोड़ रुपए की राशि को कार्यालय व्यय के लिए प्रशासन अनुभाग को पुन: विनियोजित की गई था।

*दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार।

$ इसके अलावा, नीरांचल परियोजना के लिए 105 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। यह परियोजना 22.07.2019 से बंद कर दी गई है। केवल 0.1913 करोड़ रुपये का व्यय किया गया और शेष 104.8087 करोड़ रुपये की राशि वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित की गई है।

3.17 विभाग ने सभी डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई राज्यों से उन्हें जारी की गई धनराशि के समय पर उपयोग के लिए आवश्यक सहयोग प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में अपने लिखित उत्तर में कहा: -

> **"**अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को समय पर राज्य का हिस्सा जारी कर रहे हैं। हालांकि**,** कभी-कभी **21** दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से केंद्र का हिस्सा और राज्य का तदनुरूपी हिस्सा जारी करने में देरी होती है। तथापि**,** योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य का हिस्सा प्राप्त होने और पहले जारी किए गए **75%** के उपयोग के बाद ही उन्हें केंद्रीय हिस्से की अगली किस्त जारी की जाती है।**"**

3.18 गत तीन वर्षों के दौरान कमी के कारणों के साथ साथ निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के बीच अंतर।

(वास्तविक: क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में; वित्तीय: करोड़ रु. में)

वर्ष	**लक्ष्य**		**उपलब्धि**		**कमी का कारण**
	वास्तविक (स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं का क्षेत्र)	**वित्तीय (संशोधित अनुमान)**	**वास्तविक (स्वीकृत परियोजनाओं का क्षेत्र)**	**वित्तीय**	
2019-20	**@**	1732.97 $	**@**	1478.45	वित्तीय लक्ष्य का 85.31% प्राप्त किया गया है
2020-21	**@**	1000.00 $	**@**	998.36	वित्तीय लक्ष्य का 99.83% प्राप्त कर लिया गया है
2021-22	**4.95 मिलियन हेक्टेयर**	1216.00	**4.94 मिलियन हेक्टेयर**	1195.97	वित्तीय लक्ष्य का 99.35% और भौतिक लक्ष्य का 99.82% प्राप्त किया गया है

@ कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई। चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान की गई थीं।

$ इसके अलावा, नीरांचल परियोजना के लिए 105 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। यह परियोजना 22.07.2019 से बंद कर दी गई है। केवल 0.1913 करोड़ रुपये का व्यय किया गया तथा शेष 104.8087 करोड़ रुपये की राशि वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित की गई है।

3.19 **<u>विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नई बहु-राज्यी पनधारा परियोजना "नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि अनुकूलता हेतु पनधारा का पुनरूद्धार (रिवाई)"</u>**

विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम नामतः "नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषी अनुकूलता हेतु पनधारा का पुनरूद्धार (रिवार्ड)" विश्व बैंक तथा डीईए के परामर्श से तैयार किया गया था। रिवॉर्ड की प्रारंभिक कार्यक्रम रिपोर्ट भूमि संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई थी और डीईए ने दिनांक 23.12.2020 को आयोजित अपनी 113वीं स्क्रीनिंग समिति की बैठक में इसका अनुमोदन किया।

रिवार्ड कार्यक्रम का उद्देश्य "भाग लेने वाले राज्यों के चयनित वाटरशेड में किसानों की क्षमता बढ़ाने तथा मूल्य श्रृंखलाओं में सहयोग करने हेतु बेहतर वाटरशेड प्रबंधन को अपनाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य संस्थानों की क्षमताओं को सशक्त करना है।" वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अर्थात 5 वर्ष की परियोजना अवधि में भूमि संसाधन विभाग तथा दो भागीदार राज्यों में कार्यक्रम की कुल लागत 167.71 मिलियन अमरीकी डॉलर (दिनांक 04.11.2020 की स्थिति के अनुसार एक डॉलर = 73.24 की दर से 1228.31 करोड़ रु.) है। कुल बजट में विश्व बैंक से 115 मिलियन अमरीकी डालर [कर्नाटक (60 मिलियन अमरीकी डालर), ओडिशा (49 मिलियन अमरीकी डालर) तथा भूमि संसाधन विभाग (6 मिलियन अमरीकी डालर)] दो राज्यों से 46.71 मिलियन अमरीकी डालर [कर्नाटक (25.71 मिलियन अमरीकी डालर) और ओडिशा (21.0 मिलियन अमरीकी डालर)] और भूमि संसाधन विभाग से 6 मिलियन अमरीकी डॉलर शामिल हैं। विश्व बैंक बोर्ड ने 10 दिसंबर 2021 को रिवार्ड कार्यक्रम को मंजूरी दी तथा बाद में, 18 फरवरी 2022 को भारत सरकार, विश्व बैंक और भाग लेने वाले राज्यों के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, विश्व बैंक ने 24 मार्च 2022 से कार्यक्रम की प्रभावशीलता की घोषणा की थी। माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री ने दिनांक 08.05.2022 को बंगलुरु में रिवार्ड कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।

(घ) अव्ययित शेष

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के 31.12.2022 तक, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत अव्ययित शेष राशि निम्नानुसार है:

(रु.करोड़ में)

वर्ष	**@ अव्ययित शेष राशि**
2019-20	2254.73
2020-21	1832.85

वर्ष	@ अव्ययित शेष राशि
2021-22^	1120.42
2022-23^	1394.35

@अव्ययित शेष राशि में केंद्रीय हिस्सा, राज्य हिस्सा, अर्जित ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

^31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, पीएफ़एमएस रिपोर्ट के आधार पर बैंक बैलेन्स

3.20 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 और 2.0 के तहत अव्ययित शेष राशि को समाप्त करने के मुद्दे पर, डीओएलआर ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 में अव्ययित शेष राशि का उपयोग पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा चुका है और आंध्र प्रदेश, जहां राज्य सरकार को अभी भी अव्ययित शेष राशि वापस करने की आवश्यकता है, को छोड़कर डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत कोई अव्ययित शेष राशि नहीं है, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के संबंध में अव्ययित शेष राशि को पीएफ़एमएस एसएनए-01 रिपोर्ट के अनुसार संकलित किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बैंक बैलेंस नीचे दिए गए हैं:

क्रम	राज्य का नाम	एसएनए के बैंक खाते में शेष राशि (दिनांक 27.01.2023 की स्थिति के अनुसार एसएनए-01 की रिपोर्ट)
1	आंध्र प्रदेश	28,53,70,894.59
2	अरुणाचल प्रदेश	22,21,01,614.25
3	असम	9,51,38,878.15
4	बिहार	1,57,78,65,632.00
5	छत्तीसगढ	75,68,85,759.70
6	गोवा	3,37,38,699.00

क्रम	राज्य का नाम	एसएनए के बैंक खाते में शेष राशि (दिनांक 27.01.2023 की स्थिति के अनुसार एसएनए-01 की रिपोर्ट)
7	गुजरात	35,75,91,439.37
8	हरयाणा	78,81,546.40
9	हिमाचल प्रदेश	15,99,84,601.83
10	जम्मू और कश्मीर,संघ राज्य क्षेत्र	17,16,69,241.99
11	झारखंड	34,39,23,858.99
12	कर्नाटक	25,56,39,517.52
13	केरल	24,94,30,607.17
14	मध्य प्रदेश	1,26,22,51,538.80
15	महाराष्ट्र	1,09,52,64,601.52
16	मणिपुर	9,25,43,647.35
17	मेघालय	42,29,34,104.00
18	मिजोरम	3,12,57,384.00
19	नगालैंड	2,32,35,530.10
20	ओडिशा	1,00,94,80,128.07
21	पंजाब	11,48,20,448.27
22	राजस्थान	3,92,53,71,068.00
23	सिक्किम	67,81,241.00
24	तमिलनाडु	27,53,42,570.87
25	तेलंगाना	10,55,81,540.00

क्रम	राज्य का नाम	एसएनए के बैंक खाते में शेष राशि (दिनांक 27.01.2023 की स्थिति के अनुसार एसएनए-01 की रिपोर्ट)
26	त्रिपुरा	13,25,35,909.00
27	उत्तर प्रदेश	45,43,39,530.00
28	उत्तराखंड	3,02,72,630.00
29	पश्चिम बंगाल	21,27,26,566.93
30	लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र	3,47,00,000
	कुल	**1374,66,60,728.87**

3.21 विभाग ने आगे बताया कि:

> "डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत अव्ययित शेष राशि के बेहतर उपयोग के लिए, विभागीय स्तर पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, राष्ट्रीय स्तर की बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा तथा वरिष्ठ और कार्यक्रम अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से योजना के भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन और कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के दिनांक 31.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगली किश्त को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहले के किश्त के 75% का उपयोग करने के बाद ही जारी किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वार्षिक कार्य योजनाएं और बाद में आवश्यकता के आकलन के अनुसार निधियां जारी की जाएंगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक ओर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पास अव्ययित राशि बेकार नहीं रहेगी और दूसरी ओर, प्रदर्शन करने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उनकी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध रहेगी।"

(ङ) <u>डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत निगरानी और मूल्यांकन</u>

3.22 मंत्रालय के अनुसार, योजना की निगरानी के तहत निगरानी के लिए निम्नवत कदम उठाए गए:

वेब आधारित निगरानी: परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) की सहायता से वर्ष 2015 में एक भू-स्थानिक पोर्टल सृष्टि विकसित किया गया है। रियल टाइम आधार पर भू-कोडेड और समय-अंकित फोटोग्राफ सृष्टि पोर्टल पर विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन दृष्टि का उपयोग करके अपलोड किए जाते हैं।

वित्तीय निगरानी: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को वर्ष 2015-16 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 23.03.2021 के संशोधित पीएफएमएस दिशानिर्देशों के संदर्भ में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसएनए स्तर पर एकल खाता एवं मध्यवर्ती एजेंसियों में ज़ीरो बैलेन्स खातों वाले एसएनए मॉड्यूल अपनाना होगा। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एसएनए मॉड्यूल पर हैं। पीएफएमएस के माध्यम से रियल टाइम वित्तीय निगरानी की जा रही है।

भौतिक निगरानी: योजना की वास्तविक प्रगति की जांच करने के लिए सृजित/पुनरुद्धार किए गए जल संचयन संरचनाओं, संरक्षणात्मक सिंचाई के तहत लाए गए अतिरिक्त क्षेत्र तथा लाभान्वित किसानों की संख्या को वर्ष 2014-15 से तथा वृक्षारोपण (बागवानी और वनीकरण), कृषि योग्य बंजर भूमि का निरूपण तथा सृजित मानव दिवस रोजगार की संख्या जैसे मापदंडों/संकेतकों को वर्ष 2018-19 में शामिल किया गया है। इसके अलावा, नीति आयोग के परामर्श से विकसित आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के आधार पर, वर्ष 2021-22 से 6 आउटपुट और 5 आउटकम संकेतक शामिल किए जा रहे हैं (भूमि संसाधन विभाग का आउटपुट-आउटकम दस्तावेज देखें)।

3.23 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के लिए नए और अविर्भावी निगरानी प्रावधान और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 की प्रभावी निगरानी में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में पूछे जाने पर डीओएलआर ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी दी:

> "विभाग प्रौद्योगिकी की शक्ति और लाभों से अवगत है। प्रौद्योगिकी, बहु कार्यों अर्थात कार्यक्रम प्रबंधन और समन्वय को सुदृढ़ करने, कार्यकलाप आधारित परियोजना प्रारम्भ करने, कार्य योजनाएं तैयार करने, स्वीकृतियों और निधियों को जारी करने को सुव्यवस्थित करने, उपयोगी डाटा बेस बनाने, परियोजनाओं के वास्तविक प्रभावों का आकलन करने, प्रभावी प्राथमिकताएं तय करने, वैज्ञानिक डीपीआर तैयार करने, सर्वोत्तम पद्धतियों और मामले के अध्ययन का दस्तावेज़ बनाने के साथ साथ सूचना और डाटा के मुक्त और निर्बाध प्रवाह को सुविधाजनक बनाने में सक्षम बनाती है। वाटरशेड कार्यक्रम (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के नए विजन में, स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभवों के साथ नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने की योजना तैयार की गई है। एनआरएससी भुवन प्लेटफार्मों पर डिजिटल मानचित्रों की उपलब्धता, मोबाइल ऐप को एकीकृत करने वाले ओपन सोर्स टूल, भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन (जीआईएस एंड आरएस) और वेब प्लेटफॉर्म मानचित्र/स्थानिक डाटा के साथ क्षेत्र डाटा के सुचारू एकीकरण को सक्षम बनाएंगे। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के नॉलेज पार्टनर के रूप में राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) सहभागी नियोजन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए उपलब्ध नई प्रौद्योगिकियों, नवाचारों और उपकरणों के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को और अधिक सुविधा प्रदान करेगा। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों सहित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), जलवायु परिवर्तन

सूचना नेटवर्क प्लैटफ़ार्म (एनआईसीई), जलवायु सूचना केन्द्रों और अन्य एजेंसियों द्वारा विकसित जलवायु निगरानी और मौसम आधारित परामर्शी में नई प्रौद्योगिकीय उन्नतियाँ और उपकरण उपलब्ध हैं। एनआरएए, परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन में इन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करेगा। योजना के तहत परियोजनाओं में समय पर कार्यकलाप चिन्हित करने में व्यक्तिपरक निर्णयों को कम करने के लिए परियोजनाओं के वैज्ञानिक नियोजन और कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए जीआईएस और आरएस प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) और इसरो से प्राप्त उपग्रह इमेजरी डेटा का उपयोग करने के लिए राष्ट्र स्तरीय नोडल एजेंसी (एनएलएनए) और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) ने पहले ही कोर जीआईएस सुविधाएं स्थापित कर ली हैं। वाटरशेड परियोजनाओं के प्रभावी नियोजन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों जैसे जीआईएस, ग्लोबल-पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और सुदूर संवेदन (आरएस) का उपयोग आधुनिक वाटरशेड प्रबंधन पद्धतियों की मांग है। इन प्रौद्योगिकियों में न केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया की विस्तृत श्रृंखला को एकीकृत करने की क्षमता है, बल्कि रियल टाइम आधार पर प्रगति, प्रक्रिया दक्षता और गुणवत्ता को ट्रैक करने में भी मदद मिलती है और समय पर निर्णय लेने के लिए सूक्ष्म और वृहद स्तर के विश्लेषण में परियोजना प्रबंधन की सहायता करती है।"

3.24 यह पूछे जाने पर कि क्या नेटवर्क कवरेज और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में सृष्टि पर जियो पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन दृष्टि को किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, डीओएलआर ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"विभाग ने वाटरशेड कार्यक्रम की निगरानी हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र के साथ समझौता किया है। कार्यक्रम की वेब-आधारित निगरानी के लिए एक भू-स्थानिक पोर्टल सृष्टि वर्ष 2015 से उपलब्ध है। सृष्टि पोर्टल पर रियल टाइम आधार पर भू-कोडेड तथा समय-अंकित तस्वीरों को अपलोड करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन दृष्टि भी उपलब्ध है। इसके अलावा सृष्टि और दृष्टि में पिक्चर केप्चर करने और तकनीकी सुविधानुसार प्राथमिकता आधार इन्हें अपलोड करने की प्रौद्योगिकी-आधारित विशेषताएं मौजूद हैं। अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इसके उपयोग में किसी भी प्रकार की चुनौती/समस्या की सूचना नहीं मिली है।"

3.25 **डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत डिजिटल भुगतान**

वर्ष 2015-16 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफ़एमएस) कार्यान्वित की जा रही है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसएलएनए के अध्यक्षों/सीईओ से अनुरोध किया गया था कि (क) एसएलएनए से वाटरशेड प्रकोष्ठ-सह-डाटा केंद्र (डब्ल्यूसीडीसी), डब्ल्यूसीडीसी को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) और वाटरशेड समितियों (डब्ल्यूसी) को शत-प्रतिशत राशि का हस्तांतरण पीएफएमएस के माध्यम से सुनिश्चित करें, और (ख) सभी स्तरों अर्थात एसएलएनए, डब्ल्यूसीडीसी, पीआईए और डब्ल्यूसी पर वस्तुओं, सेवाओं, श्रम, आदि के लिए भुगतान जहां भी संभव हो, पीएफएमएस के माध्यम से किया जाए। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से भी यह अनुरोध किया गया था कि जहां भी संभव हो लेनदेन के डिजिटल तरीकों को सक्रिय रूप से अपनाया जाए और साथ ही, जनता को डिजिटल लेनदेन अपनाने के लिए जागरूक, प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाए। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 23.03.2021 के संशोधित पीएफएमएस दिशानिर्देशों के संदर्भ में, सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र एसएनए मॉड्यूल पर आ गए हैं जिसमें एसएनए स्तर पर एकल खाता होता है और मध्यवर्ती एजेंसियों में शून्य शेष खाते होते हैं। पीएफएमएस के माध्यम से रियल टाइम वित्तीय निगरानी की जा रही है। विभाग ने हाल ही में प्रारम्भ किए गए एमआईएस 2.0 के साथ पीएफ़एमएस को एकीकृत करने की प्रक्रिया में है, ताकि परियोजना-वार व्यय पर नियंत्रण/निगरानी रखी जा सके।

3.26 11 निष्पादन/परिणाम संकेतकों के माध्यम से योजना के कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए नीति आयोग के परामर्श से निष्पादन परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क विकसित किया गया है। इसके अलावा, विभागीय स्तर पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, राष्ट्रीय स्तर की बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा तथा वरिष्ठ और कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के दौरे के माध्यम से योजना के कार्य निष्पादन और कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है। विभाग ने पहले ही क्षेत्र से सूक्ष्म स्तर (प्लॉट-वार) पर सूचना प्राप्त करने के लिए एक व्यापक एमआईएस प्रणाली विकसित करने और डाटा कैप्चर करने के लिए भुवन पोर्टल, पीएफएमएस और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 एमआईएस को एकीकृत करने तथा कार्यक्रम का प्रभावी निगरानी मूल्यांकन और मध्यावधि -सुधार के लिए उचित पहल की है।

3.27 पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत परियोजनाओं के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन/लेखापरीक्षा के मुद्दे पर भूमि संसाधन विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

> "डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई सहित 28 अम्ब्रेला योजनाओं के तहत, सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन, मैसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ),

नीति आयोग द्वारा कराया गया है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के संबंध में मूल्यांकन एजेंसी के प्रमुख निष्कर्षों/सिफारिशों का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया हैः

i. वर्षासिंचित कृषि देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 40% का योगदान करती है। वाटरशेड विकास का उद्देश्य निवल जोतक्षेत्र, कृषि योग्य बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि के वर्षासिंचित क्षेत्रों का विकास करना है।

ii. जैसा कि विभिन्न एंड-लाइन मूल्यांकन रिपोर्टों में दर्शाया गया है, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई सतही और भूजल उपलब्धता में सुधार, फसल गहनता में वृद्धि, बागवानी फसलों के तहत आने वाले क्षेत्र, फसल उत्पादकता और आजीविका के अवसरों जैसे लाभों को प्राप्त करने में प्रभावी रहा है।

iii. वाटरशेड परियोजना ने वर्षा सिंचित क्षेत्रों में रोजगार को सुकर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजीविका घटक के तहत स्वरोजगार के अवसरों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

iv. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत आईएसआरओ/एनआरएससी द्वारा विकसित सृष्टिऔर दृष्टि 'भुवन पोर्टल' ने वाटरशेड परियोजनाओं की योजना और निगरानी में काफी सुधार किया है। योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग होता है।

v. बजट का लगभग 16.6% अनुसूचित जाति उप-योजना और 10% जनजातीय उप-योजना के लिए जारी किया जाता है। किसी भी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी (% के संदर्भ में), राष्ट्रीय स्तर पर वाटरशेड के चयन का एक मानदंड है। भूमिहीन और संपत्तिहीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी, आजीविका गतिविधियों के अंतर्गत कवर की जाती है जिसके लिए आवंटन का 9% निर्धारित किया जाता है। एसएचजी का गठन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।

vi. योजना दिशानिर्देशों में सुनिश्चित किया गया है कि वाटरशेड परियोजनाएं इक्विटी के सिद्धांत का पालन करती हों, जिसमें परियोजना के डीपीआर चरण से समेकन चरण तक महिलाओं के हित को ध्यान में रखा जाता है।

vii. 12,000 रु. प्रति हेक्टेयर का लागत मानदंड (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 15,000 रु), जो वर्ष 2008-09 से लागू है, डब्ल्यूडीसी परियोजना के लिए बहुत कम है। ये लागत मानदंड पुराने हैं और इनमें संशोधन की आवश्यकता है। योजना के लिए लागत मानदंडों को वर्तमान बाजार की स्थितियों के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों के लिए, लागत मानदंड 25,000 से 30,000 रु प्रति हेक्टेयर के बीच होना चाहिए।

viii. समामेलन, परियोजना के योजना चरण में किया जाना चाहिए, न कि कार्यान्वयन चरण में।

ix. वाटरशेड योजनाओं की रूपरेखा में जलवायु परिवर्तन के अनुरूप सुधार के उपायों को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता है और जमीनी स्तर पर आम लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है।

x. वाटरशेड परियोजनाओं को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसान सहकारी समितियों (एफसी) के निर्माण और संपोषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें।

xi. ओएंडएम चरण के दौरान, परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव के लिए उचित सहयोग के साथ स्थानीय समुदाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

xii. भूमि संसाधन विभाग को पेशेवर व्यक्तियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है और राज्यों को तकनीकी मामलों पर उचित मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है।

xiii. भारत का लक्ष्य वर्तमान वार्षिक कृषि उत्पादकता (2,509 किग्रा/हेक्टेयर) को वर्ष 2030 तक दोगुना करके 5,018 किग्रा/हेक्टेयर करना है। वर्षा सिंचित कृषि का कुल खादयान्न उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान है।

xiv. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) में कृषि अध्ययन केंद्र के अनुसार, जल संरक्षण और पुनर्भरण में योगदान करने वाली, और मृदा अवक्रमण को रोकने वाली वाटरशेड विकास परियोजना ही वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए एकमात्र विकल्प है।

xv. ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति (वर्ष 2016-2017) ने जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक, पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी, पर अपनी रिपोर्ट में दृढ़ता से महसूस किया कि कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, डब्ल्यूडीसी के तहत परियोजनाएं वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक हैं।"

3.28 उपरोक्त निष्कर्षों के संबंध में, डीओएलआर ने आगे बताया कि:

"ऊपर उल्लिखित मूल्यांकन अध्ययन में की गई सिफारिशें जैसे, लागत मानदंडों में संशोधन, वाटरशेड योजनाओं की रूपरेखा में जलवायु परिवर्तन के अनुरूप सुधार के उपाय, फॉरवर्ड लिंकेज, प्रभावी परियोजना कार्यान्वयन के लिए गहन निगरानी, पश्च परियोजना अवधि के दौरान परिसंपत्तियों का रखरखाव, भूमि संसाधन विभाग का सुदृढ़ीकरण, समामेलन की आवश्यकता आदि को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अन्तर्गत बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु नई पीढ़ी की डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के लिए संशोधित मसौदा में विधिवत रूप से समाविष्ट किया गया है और विभाग इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

3.29 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञों और पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं लेने के प्रश्न पर, डीओएलआर ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"विभाग ने वाटरशेड कार्यक्रम की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) और नई पीढ़ी की वाटरशेड परियोजना हेतु दिशानिर्देश के विकास के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) के साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में गठबंधन किया है। निगरानी के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) की सहायता से वर्ष 2015 से भू-स्थानिक पोर्टल सृष्टि का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए विकसित मोबाइल एप्लिकेशन दृष्टि का उपयोग करते हुए, लगभग रियल टाइम आधार पर जियो-कोडेड और समय अंकित फोटो को

सृष्टि पोर्टल पर अपलोड किया जाता हैं। यदि डाटा कनेक्टिविटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो मोबाइल एप्लिकेशन दृष्टि में डाटा को स्टोर करने और बाद में सृष्टि पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यक्षमता है। राज्य, अपने स्तर पर प्रतिष्ठित केंद्रीय/राज्य संगठनों/संस्थानों से वाटरशेड परियोजनाओं का अन्य पक्ष मूल्यांकन भी करवाते हैं। भारत सरकार, ने विशेष रूप से 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में, नीति आयोग को सार्वजनिक संसाधनों के न्याय संगत उपयोग और सीएसएस के सुव्यवस्थीकरण को सुनिश्चित करने के उदेश्य के साथ सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का स्वतंत्र अन्य -पक्ष मूल्यांकन कराने के अधिदेश दिए। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 की तरह, नीति आयोग ने जल संसाधन, पर्यावरण और वन क्षेत्रों में सीएसएस का मूल्यांकन करने के लिए केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया था। इस मूल्यांकन में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- अम्ब्रेला स्कीम जिसमें पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक सहित कई संबंधित घटक शामिल है, को कवर किया गया है ।"

(च) **<u>अन्य योजनाओं के साथ तालमेल</u>**

3.30 यह पूछे जाने पर कि डीओएलआर डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के कार्यान्वयन के अनुभवों के आधार पर अपनी वर्तमान योजनाओं के कवरेज और लाभों के विस्तार के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अन्य कार्यक्रमों के साथ अपने डोमेन के तहत कार्यक्रम के अभिसरण के उद्देश्य को साकार करने की योजना कैसे बना रहा है, डीओएलआर ने अपने उत्तर में बताया कि:

"विभाग समामेलन की क्षमता और लाभों के प्रति जागरूक है। समामेलन वह प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप समन्वित और समेकित तरीके से वित्तीय और मानव संसाधनों के लक्षित और कुशल उपयोग के माध्यम से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। विशिष्ट समामेलन पहलें संपूरक अथवा अनुपूरक प्रकृति की हो सकती हैं जो प्रत्येक स्तर पर अधिक व्यापक निरूपण, सृजित परिसंपत्तियों के उन्नयन, सतत और सफल पहल को बढ़ावा दे सकती हैं। वाटरशेड दृष्टिकोण एक गतिशील ढांचा प्रदान करता है, जो विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों के परिणामों के प्रयासों और तालमेल में सहयोग को सक्षम बनाता है। विभिन्न योजनाओं के गुणात्मक समामेलन के लिए, योजना प्रक्रिया पर उचित जोर देना आवश्यक है, जिसमें पारस्परिक रूप से सहमत कार्यक्रमों से गतिविधियों

का मानचित्रण, लक्ष्यों में स्पष्टता, समय-सीमा और साझी जिम्मेदारियां; और निगरानी पैरामीटर शामिल हैं।"

3.31 एक अन्य लिखित उत्तर में, डीओएलआर ने आगे बताया कि "सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (एसजीओएस) ग्रुप 1 ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के प्रदर्शन में सुधार की संभावना पर विचार करते हुए 'समामेलन' को आशाजनक मार्गों में से एक के रूप में सुझाया। प्रभावी समामेलन के लिए, विभाग ने पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों को डब्ल्यूडीसी 2.0 के तहत स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की सलाह दी है ताकि इसकी पात्र गतिविधियों और संसाधनों सहित विभिन्न उपलब्ध योजनाओं पर विचार किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ जिनका आपस में समानेलन किया जा सकता है, वे हैं:

"क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई): पीएमकेएसवाई के तहत तैयार की गई जिला सिंचाई योजनाएं (डीआईपी), जिलों में जल क्षेत्र के विकास के लिए एक मास्टर प्लान प्रदान करता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए पीडब्ल्यूडीपी को डीआईपी के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। परियोजना क्षेत्र में निर्मित जल स्रोतों की जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ पीएमकेएसवाई के 'प्रति बूंद अधिक फसल' घटक को शामिल करने के लिए, यहां समामेलन को बढ़ावा दिया जाना है। यह जल निकायों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को एकीकृत करके और कम जल लागत वाली फसलों और किस्मों को बढ़ावा देकर किया जाता है।

ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा): विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मनरेगा गतिविधियों के साथ वाटरशेड विकास परियोजनाओं को एकीकृत करने की प्रणाली विकसित की गई है। मनरेगा, जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से श्रम गहन कार्यों को बढ़ावा देता है, वाटरशेड विकास के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यहां जल संचयन संरचनाओं, भूमि विकास, मृदा और जल संरक्षण निरूपण और पौधरोपण करने की गुंजाइश होती है, जो सभी वाटरशेड परियोजना में आवश्यक हैं। पीडब्ल्यूडीपी और मनरेगा के बीच समामेलन पारस्परिक लाभ के लिए हो सकता है। मनरेगा के माध्यम से किए जाने वाले प्रस्तावित सभी कार्यकलापों को निर्दिष्ट किया जा सकता है और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम): इस कार्यक्रम ने, हाल में, तिलहन और पोषक अनाज तथा एनएफएसएम (दाल), के माध्यम से दालों पर

अधिक ध्यान केंद्रित किया है। ये फसलें मौसम की अनिश्चितताओं के प्रति सहनशीलता को बढ़ावा देने के अलावा, वर्षा सिंचित फसल प्रणालियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।वाटरशेड परियोजनाओं और एनएफएसएम के बीच युक्तिपूर्ण समामेलन, परियोजना क्षेत्र में इन फसलों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली इन फसलों की पैदावार में मृदा,जल, गुणवत्तापूर्ण इनपुट की बेहतर स्थिति और अच्छी कृषि पद्धतियों से पर्याप्त वृद्धि हो सकती है।

एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफ़एस): वर्षा सिंचित कृषि, वृक्षों (कृषि-वानिकी के लिए उपयुक्त), बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन आदि के साथ एकीकृत होने पर उच्च आय और बेहतर सुविधा सृजित कर सकती है। परियोजना क्षेत्र में आईएफएस का तरीका कई चालू सरकारी योजनाओं को लाभान्वित कर सकता है। इन योजनाओं में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ताड़ तेल (एनएमईओ-ओपी), कृषि-वानिकी उप मिशन (एसएमएएफ़), राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी), क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), हरित भारत मिशन (जीआईएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन आदि से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।"

3.32 विभाग ने अपने उत्तर में और जोड़ते हुए निम्नवत प्रस्तुत किया:

"'तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर वाटरशेड परियोजनाओं के तहत प्रासंगिक योजनाओं के साथ अधिक से अधिक समामेलन करने के लिए परामर्शी जारी किए गए हैं। हाल में, प्रभावी वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के लिए प्रासंगिक केंद्रीय योजनाओं के सभी उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए समामेलन प्रयासों पर जोर देने के लिए सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को संबोधित करते हुए पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिवों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित दिनांक 24.04.2020 के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या जे-11060/4/2019-आरई-VI जारी किया गया। इसी प्रकार, भूमि संसाधन

विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग के साथ परामर्श से दिनांक 21.09.2022 के संयुक्त अर्ध-शासकीय पत्र के रूप में एडवायजरी जारी की है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देशों के अनुसार मनरेगा के साथ समामेलन की सलाह दी गई है। ये समन्वित प्रयास वाटरशेड परियोजनाओं में समामेलन के स्तर को बेहतर बनाएंगे और इनसे स्कीम के तहत भूमि विकास प्रयासों में प्रभावी संतृप्ती प्राप्त करने में मदद मिलेगी।इस बात पर गौर किया गया है कि संतृप्ती आधार पर वाटरशेड परियोजनाओं के विकास के लिए लागत मानदंड पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, भूमि संसाधन विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ,केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत, संभावित गतिविधियों के अधिकतम समामेलन करने और वित्तीय अंतर को कम करने के प्रयास पर जोर दे रहा है। समामेलन से संतृप्ती आधार पर पीएमकेएसवाई के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलने की संभावना है।"

ख. <u>डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)</u>

(क) <u>पृष्ठभूमि</u>

3.33 राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में दिनांक 21.08.2008 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका आगे चलकर डिजिटल इंडिया पहल के तहत नवीकरण किया गया और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) का नाम दिया गया और जिसे केंद्र से शत प्रतिशत वित्तपोषण के साथ 1 अप्रैल, 2016 से केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अवधि को 2025-2026 तक बढ़ाया गया है।

3.34 वर्ष 2018-19 के दौरान, 30 प्रतिशत तक प्रारंभिक अग्रिम के रूप में पहली किस्त और प्रतिपूर्ति आधार पर उत्तरवर्ती किस्तों की अनुमति थी। वर्ष 2019-20 में यही वित्त पोषण पद्धति तब तक जारी रही, जब व्यय विभाग ने दिनांक 03.01.2020 से वित्त पोषण पद्धति को प्रतिपूर्ति आधार से अग्रिम आधार में पुनः प्रारम्भ करने और कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू), सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण और कोर-जी आई एस जैसे घटकों को भी पुनः आरम्भ करने का अनुमोदन प्रदान किया।

इस कार्यक्रम के निम्नलिखित मुख्य घटक और कार्यकलाप हैं:

क्र.सं.	घटक	कार्यकलाप
1	भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	(i) अधिकारों के अभिलेख का कंप्यूटरीकरण; (ii) भू-कर मानचित्रों का डिजिटीकरण; (iii) अधिकारों के अभिलेख (लिखित) और भूकर मानचित्रों (स्थानिक) का एकीकरण; (iv) राज्य स्तर पर डाटा केंद्र।
2	रजिस्ट्रीकरण का कम्प्यूटरीकरण	(i) उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों (एसआरओ) का कम्प्यूटरीकरण; (ii) उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों और तहसीलों के बीच संयोजकता; और (iii) रजिस्ट्रीकरण और भूमि अभिलेखों का एकीकरण।
3	सर्वेक्षण / पुनःसर्वेक्षण	सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण और सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त अभिलेखों का अद्यतनीकरण।
4	आधुनिक अभिलेख कक्ष	तहसील स्तर पर आधुनिक अभिलेख कक्ष/भूमि अभिलेख प्रबंधन केंद्र।
5	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	राज्यों के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और/ अथवा सर्वेक्षण/राजस्व/पटवारी प्रशिक्षण संस्थानों में डीआईएलआरएमपी प्रकोष्ठों का सृजन।
6	परियोजना प्रबंधन इकाई	डीआईएलआरएमपी के विभिन्न घटकों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु मानव संसाधन और अन्य अवसंरचनाएं प्रदान करना।
7	राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का कंप्यूटरीकरण	देश के सभी राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण और भूमि अभिलेखों के साथ उनका एकीकरण
8	स्वैच्छिक आधार पर भूमि अभिलेख डाटाबेस के साथ आधार संख्या का एकीकरण	अधिकारों के अभिलेखों(आरओआर) के साथ आधार संख्या को जोड़ना

(ख) <u>वास्तविक प्रगति</u>

डीआईएलआरएमपी के तहत अद्यतित राज्य-वार, घटक-वार वास्तविक प्रगति

(27.01.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	घटक	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी की गई (90% से अधिक)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चालू कार्यकलाप (90% से कम)	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक आरंभ नहीं किए गए कार्यकलाप
	भूमि अभिलेखों अर्थात अधिकारों के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। (29 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, (4 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मेघालय (अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भूमि समुदायों के स्वामित्वाधिकार में है। लद्दाख में 2022 में निधि स्वीकृत की गई है।) (3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
2.	भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल (21 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली दमन और दीव उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय (5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) (अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में भूमि अभिलेख समुदायों के पास हैं)
3.	अधिकारों के अभिलेखों के साथ भूकर मानचित्रों का एकीकरण	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, गुजरात,हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप,मिजोरम, नागालैंड, राष्ट्रीय	अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पुदुचेरी,

क्र. सं.	घटक	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी की गई (90% से अधिक)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चालू कार्यकलाप (90% से कम)	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक आरंभ नहीं किए गए कार्यकलाप
		(7 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (13 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	पंजाब, सिक्कि, तेलंगाना (14 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) (अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में भूमि अभिलेख समुदायों के पास हैं)
4.	रजिस्ट्रीकरण अर्थात उप रजिस्ट्रार कार्यालयों (एसआरओ) का कंप्यूटरीकरण	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	लद्दाख, मिजोरम, तमिलनाडु, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव (4 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड (5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
5.	भूमि अभिलेखों (राजस्व कार्यालयों) के साथ रजिस्ट्रीकरण का एकीकरण	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड (21 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मिज़ोरम, पंजाब, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (8 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु (7 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

3.35 यह पूछे जाने पर कि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने डीआईएलआरएमपी के तहत विभिन्न घटकों पर कोई प्रगति क्यों नहीं दिखाई है और उसमें काम शुरू करने के लिए क्या

कदम उठाए गए हैं; भूमि संसाधन विभाग(भूमि संसाधन विभाग(डीओएलआर)) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

> "कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ घटकों में धीमी प्रगति हुई है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक जटिल, संवेदनशील और भारी काम है, जिसमें बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के पूरा होने की अवधि अन्य स्कीमों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारों के रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण, पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, उप-पंजीयक कार्यालयों और तहसीलों के बीच संपर्क, पंजीकरण और भू-अभिलेखों के एकीकरण आदि की आवश्यकता में पर्याप्त प्रगति हुई है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर (आंशिक) जैसे कुछ राज्य भूमि के सामुदायिक स्वामित्व और सरकार के पास भूमि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण कुछ घटकों को कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा, विभाग ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से सभी प्रयास कर रहा है और फील्ड दौरों, डीओ पत्रों, ईमेल आदि के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। भूमि संसाधन विभाग में भी इसे उच्चतम स्तर पर उठाया जा रहा है।

3.36 कुछ प्रारम्भ न करने वाले/धीमी गति के राज्यों में काम शुरू करने की विभाग की योजना पर आगे जवाब देते हुए, भूमि संसाधन विभाग(भूमि संसाधन विभाग(डीओएलआर)) ने कहा कि:

> "जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और निगरानी की दिशा में एक कदम के रूप में, इस विभाग ने डीआईएलआरएमपी के निम्नलिखित छह घटकों में जिलों को मासिक ग्रेडिंग देना शुरू किया है:
>
> (i) भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (आरओआर)
> (ii) भूकर मानचित्रों/एफएमबी का डिजिटलीकरण
> (iii) भूकर मानचित्रों के साथ आरओआर का एकीकरण
> (iv) रजिस्ट्रीकरण का कम्प्यूटरीकरण
> (v) भूमि अभिलेखों (राजस्व कार्यालय) के साथ रजिस्ट्रीकरण (एसआरओ) का एकीकरण
> (vi) आधुनिक अभिलेख कक्ष

ग्रेडिंग निम्नलिखित प्रतिशत पैटर्न के अनुसार उपर्युक्त सभी छह घटकों में डीआईएलआरएमपी के एमआईएस में परिलक्षित जिलों के प्रदर्शन के आधार पर की जा रही है और प्रत्येक घटक/श्रेणी के लिए एक रैंकिंग सूची तैयार की जा रही है। विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रथाओं को संकलित किया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और पद्धतियों को परिवर्तित किए बिना इन पद्धतियों को प्रेरित तथा दोहराने हेतु परिचालित किया गया है।

क्र. सं.	**ग्रेड श्रेणी**	**प्रतिशत सीमा में उपलब्धि/पूर्णता**
1.	प्लैटिनम	99% और उससे अधिक
2.	गोल्ड	95% और उससे अधिक 99% तक
3.	सिल्वर	90% और उससे अधिक 95% तक

30 दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार, 10 राज्यों के 75 जिलों ने उपरोक्त छह घटकों में 99% और उससे अधिक कार्य पूरा करके प्लेटिनम ग्रेडिंग हासिल कर ली है।**"**

3.37 समिति ने भूमि संसाधन विभाग(भूमि संसाधन विभाग(डीओएलआर) डीआईएलआरएमपी के तहत देश के सभी जिलों को कब तक कवर किए जाने का प्रस्ताव है**,** विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"सरकार ने डीआईएलएमआरपी को पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात वर्ष **2021-22** से **2025-26** तक बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान किया है। भूमि संसाधन विभाग डीआईएलआरएमपी के कार्यान्वयन के लिए राज्यों के पूर्ण सहयोग और उनके द्वारा निधियों को व्यय करने की क्षमता के अध्ययधीन वर्ष **2025-26** तक डीआईएलएमआरपी के तहत देश भर के सभी जिलों को कवर करने का प्रयास करेगा।**"**

3.38 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर**;** भूमि संसाधन विभाग (भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"डीआईएलआरएमपी का कार्यान्वयन बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रियाओं वाला एक जटिल, संवेदनशील और भारी कार्य है। इस कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों को पूरा करने की अवधि अन्य योजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। डीआईएलआरएमपी के उच्च प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम होने के कारण, योजना की आरंभिक अवधि के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल की व्यवस्था करते समय और इसे अपनाने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने काफी अधिक समय लिया। वर्ष 2016 से पूर्व कार्यान्वयन की गति को प्रभावित करने वाले अन्य कारण दिनांक 31.03.2016 तक कार्यक्रम के अधीन यथा अपेक्षित राज्य के हिस्से को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संसाधनो की कमी, उच्च कुशल जन शक्ति की आवश्यकता और कार्यक्रम के कुछ घटकों में देरी/दरों में संशोधन न होना, थे।वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान, मुख्य बल मूल रूप से पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को सैद्धान्तिक रूप से पूरा करने पर था, और तदनुसार, किसी नई परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई।इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है। कुछ राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड और मणिपुर (आंशिक), भूमि के सामुदायिक स्वामित्व और सरकार के पास भूमि अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण कुछ घटकों को कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं। यह भूमि सामुदायिक गांव के प्रधान द्वारा कृषकों को शिफ्टिंग कृषि (झूम) करने के लिए दी जाती है। डीआईएलआरएमपी के कार्यान्वयन में उचित गति के साथ कनेक्टिविटी, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, एक बड़ी चुनौती है।."

3.39 भूमि संसाधन विभाग ने वर्ष 2021-22 के अंत तक 150 से अधिक जिलों में एकीकृत भूमि अभिलेख सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआईएमएस) स्थापित करने की परिकल्पना की थी। जब पूछा गया कि यह लक्ष्य पूरा किया गया या नहीं तो, भूमि संसाधन विभाग(डीओएलआर) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"डीआईएलआरएमपी के प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक 321 जिलों में, आईएलआईएमएस के तहत भूमि अभिलेखों के साथ बैंक का एकीकरण किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण 150 के लक्ष्य के मुकाबले 38 और जिलों को शामिल किया गया है। सभी राजस्व फील्ड पदाधिकारी, जो आपदा

प्रबंधन के प्रभारी भी हैं, जमीनी स्तर पर स्थिति को संभालने के लिए लगे हुए थे। अभी तक राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**शामिल जिले**
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	बिहार	38
3.	छत्तीसगढ़	28
4.	दादरा और नगर हवेली	1
5.	गुजरात	33
6.	हिमाचल प्रदेश	12
7.	कर्नाटक	30
8.	केरल	14
9.	मध्य प्रदेश	52
10.	महाराष्ट्र	36
11.	मणिपुर	16
12.	राजस्थान	2
13.	तेलंगाना	33
14.	उत्तराखंड	13
	कुल	321

(ग) <u>वित्तीय प्रगति</u>

3.40 डीआईएलआरएमपी एक मांग प्रेरित योजना है। सभी दृष्टि से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर और निधियों की उपलब्धता होने पर ही राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियाँ जारी की जाती हैं। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (12.01.2023 तक) के दौरान राज्य-क्षेत्र वार जारी निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (12.01.2023 तक) के दौरान राज्य-क्षेत्र वार जारी निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी निधि (वर्ष वार)**			
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि (वर्ष वार)			
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	0.00	6851.65	**6627.25**	698.11
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	23.52	**0**	
3	असम	0.00	1021.2	**1576.48**	3303.40
4	बिहार	0.00	264.74	**6453.83**	1000
5	छत्तीसगढ़	0.00	1106.85	**50**	7155.811
6	गुजरात	0.00	94.52	**0**	
7	गोवा	0.00	23.52	**162**	
8	हरियाणा	0.00	0	**0**	
9	हिमाचल प्रदेश	657.00	606.56	**0**	104.44
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	1206.08	**0**	
11	झारखंड	0.00	2525.51	**740**	1050.90
12	कर्नाटक	0.00	0	**0**	
13	केरल	0.00	0	**0**	
14	मध्य प्रदेश	0.00	3089.77	**322.65**	921.12
15	महाराष्ट्र	0.00	34.2	**1175**	
16	मणिपुर	500.00	77.81	**0**	
17	मेघालय	0.00	0	**0**	
18	मिजोरम	32.74	497.61	**136.79**	455.30
19	नागालैंड	0.00	0	**0**	
20	ओडिशा	0.00	2500	**0**	

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि (वर्ष वार)			
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
21	पंजाब	0.00	0	**0**	
22	राजस्थान	323.22	1752.75	**4826.6**	
23	सिक्किम	0.00	0	**786.73**	34.4
24	तमिलनाडु	153.34	162.5	**0**	851.8125
25	तेलंगाना	0.00	0	**0**	
26	त्रिपुरा	0.00	0	**0**	459.3
27	उत्तर प्रदेश	0.00	53.52	**0**	
28	उत्तराखंड	2162.02	0	**1504.27**	950.00
29	पश्चिम बंगाल	0.00	337.5	**0**	3666.7225
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	**0**	
31	चंडीगढ़	0.00	19.6	**0**	
32	दादरा और नगर हवेली	0.00	0	**0**	
33	दिल्ली	0.00	0	**0**	
34	दमन और दीव	0.00	0	**0**	
35	लक्षद्वीप	0.00	0	**0**	
36	पुदुचेरी	0.00	0	**0**	86.713
37	लद्दाख	-	0	**300**	315.5
38	विविध	549.00	264.7	**340.005**	929.28
कुल सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		**4377.32**	**22514.11**	**25001.60**	21982.809*

*12.01.2023 तक के अनुसार

3.41 उपरोक्त तालिका का उल्लेख करते हुए, एक प्रश्न उठाया गया था कि 2021-22 के दौरान 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई धन क्यों नहीं दिया गया। इसके अलावा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि 2022-23 के दौरान 22 राज्यों के संबंध में फंड जारी किया गया था या नहीं, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने अपने लिखित उत्तर में कहा:

> "डीआईएलआरएमपी का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग पर आधारित है। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जारी की गई निधियों के **75%** से अधिक के उपयोग के मानदण्डों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो विभाग वित्त मंत्रालय के दिनांक **09.03.2022** के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में निधि प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के अनुसार किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को और निधियां जारी नहीं कर सकता है। इसके अलावा, उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक बार में केवल **25%** निधि जारी की जा सकती है तथा अनुवर्ती किस्त केवल तभी जारी की जा सकती है जब किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहली किस्त का **75%** उपयोग कर लिया जाता है। डीआईएलआरएमपी मांग आधारित योजना है, और इसके लिए बड़ी संख्या में अत्यधिक कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होती है। निधि के उपयोग की क्षमता, गुणवत्तापूर्ण तकनीकी एजेंसियों/कुशल जनशक्ति की उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्राथमिकता आदि जैसे कारकों पर प्रभावी रूप से आधारित होती है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर (आंशिक) जैसे कुछ राज्य भूमि के सामुदायिक स्वामित्व और सरकार के पास भूमि अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण डीआईएलआरएमपी/डीआईएलआरएमपी के कुछ घटकों को कार्यान्वित करने में समर्थ नहीं हैं।"

3.42 डीओएलआर ने अपने प्रारम्भिक नोट में आगे कहा कि वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक (31.12.2022 तक) इस कार्यक्रम के अंतर्गत 738.796 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ घटकों में धीमी प्रगति रही। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक जटिल, संवेदनशील और विशाल कार्य है जिसमें कष्टकर और समय लगने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के पूरा होने की संपूर्ण अवधि अन्य योजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। तथापि, अब अधिकारों के अभिलेखों (आरओआर) के कंप्यूटरीकरण, पंजीकरण के कंप्यूटरीकरण, सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों और तहसीलों के बीच संयोजकता, पंजीकरण और भूमि अभिलेखों के एकीकरण, आदि की मूल अपेक्षाओं में काफी प्रगति हुई है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड और मणिपुर (आंशिक),

जैसे कुछ राज्य भूमि के सामुदायिक स्वामित्व और सरकार के पास भूमि अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण कुछ घटकों को कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं।

3.43 डीआईएलआरएमपी के तहत 2019-20 से 2021-22 (31.12.2022 तक) जारी की गई निधि निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**% उपलब्धियां (संशोधित अनुमान की तुलना में)**
2019-20	150.00	50.00	43.77	87.54
2020-21	238.65	238.00	225.14	94.60
2021-22	150.00	250.00	250.016	100
2022-23	239.25	239.25	219.83	91.90
कुल	**777.9**	**777.25**	**738.796**	**95.05**

3.44 बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2019-20	150.00	50.00	43.77
2020-21	238.65	238.00	225.14
2021-22	150.00	250.00	250.016
2022-23	239.25	239.25	219.83*

*(दिनांक 31.12.2022 तक)

(घ) <u>अव्ययित शेष</u>:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
अव्ययित शेष	398.54	492.82	536.57	648.47

*2022-23 में जारी किए गए 219.87 करोड़ रुपये सहित 01.01.2023 तक कुल अव्ययित शेष

3.45 **डीआईएलआरएमपी के तहत राज्य-वार कुल अव्ययित शेष का विवरण (दिनांक 12.1.2023 की स्थिति के अनुसार)**

(रु लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधियां	उपयोग की गई निधियां	उपलब्ध निधि
1	आंध्र प्रदेश	23632.45	12,164.80	11467.65
2	अरुणाचल प्रदेश	1230.94	1,205.97	24.97
3	असम	9561.64	5,895.34	3666.29
4	बिहार	15489.99	8,654.58	6835.41
5	छत्तीसगढ	11658.23	3,114.12	8544.10
6	गुजरात	14404.27	14,033.90	370.37
7	गोवा	584.07	332.77	251.30
8	हरियाणा	4144.65	2,662.47	1482.18
9	हिमाचल प्रदेश	5712.45	4,382.05	1330.40
10	जम्मू और कश्मीर	2701.64	1,489.37	1212.27
11	झारखंड	9213.96	8,535.34	678.62
12	कर्नाटक	2451.20	2,451.20	0.00
13	केरल	3298.05	3,272.90	25.15
14	मध्य प्रदेश	18973.77	15,685.51	3288.26
15	महाराष्ट्र	7745.36	4,597.78	3147.57
16	मणिपुर	746.34	251.54	494.80
17	मेघालय	623.75	623.75	0.00
18	मिजोरम	2960.07	2,407.12	552.95
19	नागालैंड	1547.62	1,547.62	0.00
20	ओडिशा	12128.04	9,628.04	2500.00
21	पंजाब	2796.26	2,796.26	0.00
22	राजस्थान	21322.12	16,000.46	5321.66
23	सिक्किम	2248.15	1,165.96	1082.18
24	तमिलनाडु	5414.38	3,850.32	1564.06
25	तेलंगाना	8385.21	8,385.21	0.00
26	त्रिपुरा	3455.39	2,854.91	600.48
27	उत्तर प्रदेश	4231.01	795.02	3435.98
28	उत्तराखंड	5395.75	1,770.21	3625.54
29	पश्चिम बंगाल	13193.04	10,148.29	3044.75

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधियां	उपयोग की गई निधियां	उपलब्ध निधि
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	172.25	58.04	114.21
31	चंडीगढ़	187.32	80.05	107.27
32	दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव	169.50	169.50	0.00
33	दिल्ली	132.07	132.07	0.00
34	लक्षद्वीप	216.41	216.41	0.00
35	पुदुचेरी	585.28	367.53	217.75
36	लद्दाख	615.50	0.00	619.56
37	विविध	4378.92	4378.92	0
		221707.03	1,56,105.36	65605.73

3.46 डीओएलआर द्वारा अव्ययित शेष के परिसमापन हेतु उठाए जा रहे कदमों के संबंध में पूछे जाने पर डीओएलआर ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि:

> "अव्ययित शेष के उपयोग से संबंधित मामले पर राज्यों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से चर्चा की जा रही है और वीडियो कॉनफ्रेंसिस, पत्राचार, ईमेल, इत्यादि के माध्यम से अनुवर्तन किया जा रहा है। त्रिपुरा (06.09.2018), जम्मू (13.02.2019), वडोदरा (26.02.2019), मणिपुर (05/06-08.2020) और जयपुर(24.01.2020) में क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं। दिनांक 03.08.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्षेत्रीय समीक्षा, दिनांक 16.11.2021 को राष्ट्रीय कार्यशाला, दिनांक 24.06.2022 तथा 06.12.2022 को दिल्ली में भूमि संवाद और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्य बैठकें भी आयोजित की गईं, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा उनसे अपने अव्ययित शेष को शीघ्रता से कम करने का अनुरोध किया गया। इस मामले को अ. शा. पत्रों, ईमेल, इत्यादि के माध्यम से संयुक्त सचिव, अपर सचिव और सचिव, एलआर स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी उठाया जा रहा है।"

(ड़) <u>वर्तमान स्थिति</u>

3.47 27.01.2023 तक उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, जहां भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, पंजीकरण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण और पंजीकरण के साथ भूमि अभिलेखों का एकीकरण पूरा हो चुका है, के बारे में पूछे जाने पर, डीओएलआर ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

> "डीआईएलआरएमपी एमआईएस के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची, जहां 27.01.2023 तक की स्थिति के अनुसार भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, पंजीकरण प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण और पंजीकरण के साथ भूमि अभिलेखों का एकीकरण पूरा हो चुका है, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**घटक**	**100% पूरा किया गया**
1	भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण (सीएलआर)	6 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - चंडीगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा
2	संपत्ति पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण (सीपीआर)	18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल,

क्र. सं.	घटक	100% पूरा किया गया
		मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, तेलंगाना, त्रिपुरा
3	भूमि अभिलेखों और संपत्ति पंजीकरण का एकीकरण	14 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, तेलंगाना, त्रिपुरा
4	भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण	12 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा, पुदुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा

3.48 यह पूछे जाने पर कि " एक राष्ट्र एक पंजीकरण" के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत और एकीकृत कब तक कर लिया जाएगा, डीओएलआर ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि:

> "इस विभाग का लक्ष्य दिनांक 31.03.2026 तक डीआईएलआरएमपी के सभी घटकों का पूरी गति के साथ कार्यान्वयन तथा डीआईएलआरएमपी के सभी घटकों के कार्यकलापों को पूरा करना है। 'एक राष्ट्र एक पंजीकरण' को वर्ष 2024 तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।"

(च) <u>निगरानी तथा मूल्यांकन</u>

3.49 ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीओआरडी, एमओआरडी) ने देश में जिलों के कुशल और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय सरकारों (पंचायती राज संस्थान/नगर निकाय) में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) का गठन किया है। समिति निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) सहित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और अधिक प्रभाव के लिए तालमेल और समामेलन को बढ़ावा देने के लिए अधिदेशित है। इस संदर्भ में, भूमि संसाधन विभाग ने पहले ही डीआईएलआरएमपी को लागू करने वाले सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिवों/सचिव

(राजस्व) को सलाह जारी कर दिया है कि वे डीआईएलआरएमपी के कार्यान्वयन से जुड़े जिला अधिकारियों को निर्देश दें कि वे दिशा समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लें और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में विभाग को सूचित करें। पूर्व में हुई दिशा समिति की बैठकों की रिपोर्टों को आवश्यक कार्रवाई के लिए ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट https://ruraldiksha.nic.in पर देखा जा सकता है।

3.50 केंद्र से राज्य तक प्रभाग से जिले तक और राजस्व स्तर के उप जिले तक मजबूत निगरानी और समीक्षा तंत्र के लिए एक फाइव आइ फ्रेमवर्क की रूपरेखा की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए मानदंड की परिकल्पना कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में की गई है, जहां ग्रामीण अध्ययन केंद्र (सीआरएस), एलबीएसएनएए, मसूरी के अलावा, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित एजेंसियों और अन्य संगठनों , सूचना विश्लेषण, परामर्श, सहयोग और अन्य कार्यकलापों आदि की भागीदारी को अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से शामिल किया जाएगा।

3.51 विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर डीआईएलआरएमपी के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में क्रमश: दिनांक 24.06.2022 और 06.12.2022 को डीआईएलआरएमपी "भूमि संवाद" पर दो राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों सह कार्यशालाओं का आयोजन किया। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रीय कार्यशालाओं में भाग लिया और कुछ चयनित राज्यों ने कार्यशाला के दौरान डीआईएलआरएमपी में अपनाई गई अपनी सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रस्तुत किया।

3.52 यह पूछे जाने पर कि क्या निगरानी की वर्तमान प्रणाली उद्देश्य को पूरा कर रही है, डीओएलआर ने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:-

> "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की निगरानी एनआईसी टीम द्वारा विकसित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से की जा रही है, जो वास्तविक समय निगरानी ढांचा और कार्यक्रम के अद्यतनीकरण की सूचना प्रदान करती है। विभाग, सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/ सचिवों को अर्ध शासकीय पत्र लिखकर तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों के सचिवों, आयुक्तों और पंजीकरण महानिरीक्षकों (राजस्व और पंजीकरण) के साथ विडियो कनफेरेंसिंग करके नियमित रूप से योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है । इन बैठकों में,

कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है और मुद्दों, यदि कोई हो, का उपयुक्त रूप से निराकरण किया जाता है। डीआईएलआरएमपी की प्रगति को अद्यतन करने के लिए राज्य टीमों को भूमि संसाधन विभाग, दिल्ली की अलग बैठक में भाग लेने के लिए भी कहा गया है। नेशनल लेवल मॉनिटर्स (एनएलएम) द्वारा क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से समवर्ती निगरानी की जाती है। इन एनएलएम को मंत्रालय द्वारा एक स्वतंत्र निगरानीकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। क्षेत्र में डीआईएलआरएमपी योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए दिशा भी एक अन्य माध्यम है। भूमि संसाधन विभाग के अधिकारी डीआईएलआरएमपी की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने के लिए नियमित रूप से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करते हैं।"

(छ) <u>आगामी योजना</u>

3.53 ईएफसी द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक डीआईएलआरएमपी के निरंतर कार्यान्वयन के लिए 875.00 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई है, जिसे दिनांक 20.12.2021 को व्यय विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 564 जिलों में एक या अधिक घटक स्वीकृत किए गए हैं। संबंधित राज्य सरकार के तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय नियमों तथा डीआईएलआरएमपी दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभाग/एजेंसियों द्वारा विभिन्न घटकों/कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

निम्नलिखित नए कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं:

(क) विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन)

वर्तमान में भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में अलग-अलग राज्य भूखंडों को विशिष्ट पहचान संख्या देने में अलग-अलग विधि अपनाते हैं जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसानों और भूमि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करना कठिन और बोझिल हो जाता है। इस मुद्दे के निराकरण के लिए इस विभाग ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एन आर एस सी) की सहायता से एक विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) विकसित की है। यह विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) प्रणाली भूखंड के कोनों के जियो-कोआर्डिनेटो पर आधारित प्रत्येक भूखंड के लिए 14 अंकों की एल्फा-न्यूमेरिक विशिष्ट पहचान संख्या है, जो अंतरराष्ट्रीय

मानक और इलैक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मेनेजमेंट एसोसिएशन (ईसीसीएमए) मानक तथा ओपन जियों स्पेशल कन्सोर्टियम (ओजीसी) मानक के अनुसार है।

अब तक यूएलपीआईएन को 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और जम्मू और कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, तमिलनाडु, पंजाब, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केरल में प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त, यूएलपीआईएन का प्रायोगिक परीक्षण 07 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः कर्नाटक, पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार, मणिपुर, दिल्ली, लद्दाख और तेलंगाना में किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस)

भूमि संसाधन विभाग विलेखों/दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए एकसमान प्रक्रिया के उद्देश्य से एनआईसी के माध्यम से **"एक राष्ट्र एक पंजीकरण सॉफ्टवेयर नामत: राष्ट्रीय जेनरिक डॉक्यूमेंट रजीसट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस)"** का कार्यान्वयन कर रहा है जो डीआईएलआरएमपी के घटक "पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण" के व्यापक तत्वाधान में विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है और यह भाषाओं, प्रक्रियाओं, सूत्रों और प्रारूपों के कारण राज्यों में प्रचलित विविधता का उपयुक्त समाधान करता है जिसमें उपयोगकर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों के अन्य अनुप्रयोगों के साथ पारस्परिकता और अनुकूलता में आसानी प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए सभी राज्यों की आवश्यकताएं शामिल की गई हैं। इस प्रणाली के प्रमुख लाभों में निम्नलिखित शामिल है:-

एक. विलेख की ऑनलाइन प्रविष्टि, ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन एडमीशन, दस्तावेज की खोज एवं प्रमाणित प्रति को तैयार करने के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।

दो. धोखाधड़ी/बेनामी लेन-देन की रोकथाम

तीन. उप-रजिस्ट्रार स्तर पर दस्तावेज पंजीकरण प्रक्रिया, समय एवं लागत में कमी।

चार. दस्तावेज पंजीकरण प्रक्रिया में बेहतर दक्षता और पारदर्शिता के साथ लागत प्रभावी समाधान।

पाँच. राज्यों में प्रचलित सभी विविधताओं/कमियों को समाहित करना।

छह. संपत्ति के लेन देन से संबंधित एसएमएस एवं ई-मेल समर्थित अलर्ट।

सात. संपत्ति लागत की सही गणना के साथ नियम आधारित पारदर्शी ऑनलाइन मूल्यांकन।

अब तक, एनजीडीआरएस को 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः पंजाब, अंडमान और निकोबार, मणिपुर, गोवा, झारखंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली और जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, लद्दाख, बिहार, असम, मेघालय और उत्तराखंड में कार्यान्वित किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने उपयोगकर्ता इंटरफेस/वेब एपीआई के माध्यम से एनजीडीआरएस के राष्ट्रीय पोर्टल के साथ पंजीकरण डाटा साझा करना प्रारम्भ कर दिया है, इस प्रकार एनजीडीआरएस में शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या 22 हो गई है।

(ग) बहु-भाषी भूमि अभिलेख- भूमि अभिलेखों में भाषायी अड़चनों को दूर करने के लिए।

वर्तमान में, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अधिकारों के अभिलेखों (आरओआर) का स्थानीय भाषाओं में रख-रखाव किया जाता है। भाषायी अड़चनें, सूचना तक पहुंच बनाने और इन अभिलेखों को समझने में गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। भूमि शासन में आने वाली भाषायी अड़चनों की समस्या को दूर करने के लिए, भूमि संसाधन विभाग ने ईलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) से प्राप्त तकनीकी सहायता से स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकारों के अभिलेखों का भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिप्यंतरण करने का कार्य शुरू किया है।

आठ राज्यों अर्थात बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु,त्रिपुरा और जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र में प्रायोगिक परीक्षण चल रहा है तथा अखिल भारतीय आधार पर उपरोक्त पहल को शीघ्र ही प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सी-डैक, पुणे द्वारा किया जा रहा है और अब तक 25 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है।"

(ज) <u>मीडिया और प्रचार</u>

3.54 योजना के प्रति सार्वजनिक जागरूकता की महत्ता को उद्घाटित करते हुए समिति ने भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के दृष्टिगत पंजीकरण प्रक्रियाओं से संबंधित जागरूकता के लिए मीडिया की भूमिका और प्रचार के संबंध में जानना चाहा, जिसका डीओएलआर नें लिखित में निम्न उत्तर दिया:

"भूमि संसाधन विभाग ने 24 अप्रैल, 2022 को जम्मू और कश्मीर में सांबा जिले के पल्ली गाँव में मनाए गए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दौरान एक स्टाल लगाया था जिसमें प्रिंट सामग्री, स्टैंडी आदि के माध्यम से राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) जैसी पहलों का व्यापक प्रचार किया गया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 7-8 मई, 2022 को मंडला जिले में आयोजित आदि उत्सव के दौरान डीआईएलआरएमपी की पहलों को दर्शाने के लिए स्टॉल लगाने के लिए मध्य प्रदेश को धनराशि प्रदान की गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी आईईसी गतिविधियों के तहत जारी फंड से जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए है। आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड आदि जैसे राज्यों के प्रस्तावों को लोगों तक पहुंच कार्यक्रम के लिए आईईसी गतिविधियों के संचालन के लिए स्वीकृत किया गया था।"

3.55 डीओएलआर ने अपनी योजनाओं के लिए प्राप्त उपलब्धियों और मान्यताओं की जानकारी देते हुए लिखित उत्तर में कहा कि:

"राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस), पंजीकरण प्रक्रिया के लिए एक उन्नत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, अर्थात यह एनआईसी के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा समय, लागत और संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को कम करने के लिए इन-हाउस विकसित किया गया है। यह सिस्टम में उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और संपत्ति के लेनदेन में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को कम करता है। एनजीडीआरएस को अब तक 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा पंजाब, अंडमान और निकोबार, मणिपुर, गोवा, झारखंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली और जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, लद्दाख, बिहार, असम मेघालय और उत्तराखंड में लागू किया गया है।

यह आवश्यक है कि केंद्र/राज्य सरकारों/योजनाओं/कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर लाभ प्राप्त करने के लिए देश में भूमि व्यवस्था और भूमि शासन को एकीकृत किया जाए। यह देखा गया है कि कृषि, रसायन और उर्वरक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), वित्तीय संस्थानों, कृषि और किसान कल्याण जैसे केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों की सेवाओं / लाभों की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए भूमि अभिलेख संबंधी जानकारी बहुत प्रभावी हो सकती है। उपरोक्त विभागों/एजेंसियों/मंत्रालयों की सेवाओं के वितरण में प्रभावशीलता, विभिन्न

हितधारकों के बीच भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए एकरूपता, इंटर आपरेबिलिटी और कोंपेटीबिलिटी पर निर्भर करती है।

एक व्यापक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली - एक स्थान पर भूमि संबंधी जानकारी को उपलब्ध करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली को बुनियादी ढांचे के विकास और देश के आर्थिक विकास के लिए मुख्य कारक के रूप में देखा जाता है; क्योंकि हमारे देश की अधिकांश ग्रामीण आबादी की आजीविका भूमि संसाधनों पर निर्भर है। इसके अलावा, भूमि न केवल किसी व्यक्ति की प्रमुख संपत्ति और व्यक्ति / परिवार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने / जोड़ने हेतु मूल्यवान संसाधन है, बल्कि इसका अत्यधिक भावनात्मक मूल्य भी है। एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली(आईएलआईएमएस) को डीआईएलआरएमपी के तहत देश के 321 जिलों में लागू की गई है, जो अन्य क्षेत्रों जैसे आयकर विभाग, ऋण / बंधक के लिए बैंकों / वित्तीय संस्थानों को, एफ़सीआई खरीद के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए कृषि और किसान कल्याण, उर्वरक सब्सिडी के लिए रसायन और उर्वरक विभाग आदि को सहायता प्रदान कर सकती है और यह **सारथी** (उच्च स्तरीय भारत के रूप मे उभरने के लिए सुधार और परिवर्तन हेतु सहायक एजेंट) के रूप में कार्य करता है।

विभाग को वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

"(i) 21 अप्रैल, 2022 को भूमि संसाधन विभाग को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। एनजीडीआरएस के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।

(ii) विभाग को 12.05.2022 को एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में भू-स्थानिक विश्व मंच शिखर सम्मेलन में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के लिए भूमि प्रशासन में भू-स्थानिक विश्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया।

(iii) एसोसिएशन ऑफ जियोस्पेशियल इंडस्ट्रीज (एजीआई) ने 25-26 अप्रैल, 2022 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित इंडिया जियोस्पेशियल लीडरशिप समिट-

2022 में डीआईएलआरएमपी-यूनीक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूएलपीआईएन) परियोजना के लिए भूमि संसाधन विभाग को भूमि प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए एजीआई इंडिया अवार्ड्स प्रदान किया।"

भाग-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की मांग संख्या 88 के अंतर्गत विस्तृत अनुदानों की मांगें (2023-24) 07 फरवरी, 2023 को लोकसभा के पटल पर रखी गई। वित्त वर्ष 2020-21 हेतु सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 2251.24 करोड़ रुपये है। समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) की अनुदानों की मांगों की विस्तृत जांच की है। समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा अनुवर्ती पैराओं में दिया गया है।

<u>2023-24 के दौरान निधि का आवंटन</u>

2.1 **समिति नोट करती है कि वर्ष 2023-24 के दौरान भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस/योजना घटक) में पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में केवल 156.50 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान 2239.25 करोड़ रुपये था और इस वर्ष अर्थात् वर्ष 2023-24 के लिए आवंटन को बढ़ाकर 2395.75 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में मात्र 6.98% अधिक है। समिति यह भी नोट करती है कि पनधारा विकास घटक - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के बजटीय आवंटन में 10% की वृद्धि करके इसे 2000 से 2200 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के लिए पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान चरण में किए गए आबंटन की तुलना में 2023-24 में बजट अनुमान में 18.18% (239.25 करोड़ रुपये से 195.75 करोड़ रुपये) की कटौती की गई है। समिति इन दोनों योजनाओं के समग्र निष्पादन और जमीनी स्तर पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह महसूस करती है कि बजट अनुमान घटक में की गई कटौती अविवेकपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि इससे समय की आवश्यकता के अनुसार देश में बड़े क्षेत्र और आबादी को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के कवरेज का विस्तार करने में और देरी हो सकती है। इसलिए, समिति डीओएलआर से सिफारिश करती है कि वह इस मामले को वित्त मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर उठाए ताकि अधिक निधियों के आवंटन की मांग की जा सके ताकि योजनाओं का लाभ आम जनता को तेज गति से प्रदान किया जा सके।**

(सिफारिश क्रम सं 1)

<u>बजटीय प्रक्रिया की उचित आयोजना</u>

2.2 **समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) 2.0 के पनधारा विकास घटक के लिए बजट अनुमान को संशोधित अनुमान के स्तर पर 1697 करोड़ रुपये से घटाकर 869.084 करोड़ रुपये कर दिया गया था।**

तथापि, विभाग 17.01.2023 तक केवल 414.25 करोड़ रुपये का व्यय कर पाया। डीओएलआर में कहा गया है कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 योजना के अंतर्गत जारी की गई राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाएं अपने प्रारंभिक चरणों में हैं और उन्हें अपेक्षित वास्तविक और प्रशासनिक ढ़ाचा स्थापित करने में समय लग रहा है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य शुरू करने के लिए गुणवत्तापूर्ण डीपीआर तैयार करने और परियोजना से जुड़े प्रारंभिक कार्यकलापों के लिए शुरु में 6-8 महीने की अवधि की आवश्यकता होती है। प्रमुख संसाधनों का उपयोग कार्य चरण (एनआरएम) में किया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के दिनांक 31.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा दिए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अगली किस्त का दावा पहले जारी की गई राशि के 75% का उपयोग करने के बाद ही किया जाएगा। चूंकि विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में ही निधि जारी किया है और यह योजना अपने प्रारंभिक चरण में थी, इसलिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पहले से जारी की गई निधि के कम उपयोग के कारण निधि का दावा नहीं कर पाए। कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष 2021-22 में जारी केन्द्रीय अंशदान को वर्ष 2022-23 के मध्य में राज्यों के अंशदान के साथ ही प्राप्त कर सके है। इस संबंध में, विभाग ने आश्वासन दिया है कि शेष निधियों का उपयोग इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कर लिया जाएगा। इस संबंध में, विभाग ने आश्वासन दिया है कि शेष निधियों का उपयोग इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कर लिया जाएगा। समिति का मानना है कि 2021-22 की अंतिम तिमाही में निधियों को देर से जारी करने के परिणामस्वरूप राज्यों को ये निधियां 2022-23 के मध्य तक ही प्राप्त हुई हैं। क्रमिक प्रभाव के रूप में विभाग को अंतिम तिमाही के दौरान 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन का एक बड़ा हिस्सा जारी करना पड़ेगा। इस संबंध में, समिति आशा करती है कि विभाग, जैसा कि उसने आश्वासन दिया है, 2022-23 के संशोधित अनुमान चरण में समग्र आवंटित निधि को 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले व्यय कर लेगा । समिति निधियों को समय पर जारी करने और परिकल्पित योजनाओं के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को अपनी मशीनरी की समग्र बजटीय प्रक्रिया को विवेकपूर्ण योजना के साथ इस प्रकार तैयार करना चाहिए ताकि निधियों को अंतिम तिमाही में जारी करने से बचा जा सके जिसके परिणामस्वरूप निधियां देरा से प्राप्त होती है और आम जनता के लाभ के लिए परिकल्पित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होता है।

(सिफारिश क्रम सं 2)

<u>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) - योजना का कवरेज</u>

2.3 **समिति सृजित परिसंपत्तियों, भूजल स्तर को बढ़ाने और वनीकरण सहित सुरक्षित सिंचाई के अंतर्गत लाए गए क्षेत्र के संदर्भ में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई** 1.0 **योजना के सकारात्मक**

प्रभावों को स्वीकार करती है। समिति ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करके ग्रामीण शहरी पलायन को रोकने में योजना के प्रभाव की भी सराहना करती है। समिति का मानना है कि इस योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करके ग्रामीण समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है और समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि राज्यों को वर्षा सिंचित और क्षयित क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक परियोजनाएं प्रस्तुत कर इसमें सक्रियता से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित कर परियोजनाओं की संख्या बढ़ाई जाए ताकि कृषि संबंधी कार्यकलापों पर निर्भर बड़ी ग्रामीण आबादी को कवर किया जा सके। समिति इस योजना के लिए और अधिक बजटीय निधियां आवंटित करने की भी सिफारिश करती है ताकि समेकित वाटरशेड प्रबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से वर्षा सिंचित/क्षयित भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करके जनता के लाभ के लिए देश में और अधिक पनधारा परियोजनाओं की पहचान की जा सके और उन्हें कार्यान्वित किया जा सके। (सिफारिश क्रम सं 3)

<u>डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति</u>

2.4 **समिति नोट करती है कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई को सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2021 को "डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0" के रूप में जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसमें 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए वर्षा सिंचित और क्षयित भूमि के विकास के लिए 8134 करोड़ रुपये का केंद्र का हिस्सा दिया गया था। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 (4.95 मिलियन हेक्टेयर; 8134 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंशदान के अनुरूप) का लक्ष्य क्षेत्र राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) की वर्ष 2020 में प्रकाशित "भारत में विकास योजना के लिए जिलों को प्राथमिकताबद्ध करना" नामक रिपोर्ट के समग्र सूचकांक और ग्रामीण विकास मंत्री के अनुमोदन से दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य मानदंडों को ध्यान में रखते हुए आवंटित किया गया था। तथापि, विभाग द्वारा दी गई सूचना से समिति नोट करती है कि सितम्बर, 2022 तक केवल 72063.9 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है। समिति डीओएलआर के उत्तर से यह भी नोट करती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षा है कि वे 2025-26 तक संपूर्ण लक्षित क्षेत्र को विकसित करने के लिए अपनी डीपीआर तैयार करेंगे और परियोजना कार्यों को कार्यान्वित करेंगे। इसके अलावा, मंत्रालय ने राष्ट्रीय समीक्षा बैठक और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों में समिति से आग्रह किया कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वर्षा सिंचित और क्षयित भूमि के वांछित विकास को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जिससे किसानों को लाभ होगा और 2025-26 के अंत तक देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अतः, समिति सिफारिश करती है कि डीओएलआर को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को 2025-26 के लक्ष्य वर्ष के भीतर प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।**

(सिफारिश क्रम सं 4)

संवहनीयता संबंधी चुनौतियां

2.5 **समिति नोट करती है कि नीति आयोग की ओर से डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई पर एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया था जिसमें पाया गया कि योजना जारी रखने के लिए उपयुक्त है। तथापि, अध्ययन में की गई टिप्पणियों और संवहनीयता और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इसने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के लिए पर्यावरणीय संवहनीयता के अनुरूप नए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण को तैनात किया। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि डीओएलआर को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत शुरू की गई परियोजनाएं पर्यावरणीय संहता के अनुरूप हैं और इस संबंध में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में हुई प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।**

(सिफारिश क्र.सं. 5)

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के लागत मानदंड

2.6 समिति ने नोट किया कि नीति आयोग द्वारा किए गए अन्य पक्ष मूल्यांकन में भी यह सिफारिश की गई है कि मौजूदा बाजार स्थितियों को दर्शाने के लिए योजना के लागत मानदंडों को संशोधित किया जाना चाहिए। मैदानी इलाकों के लिए लागत मानदंड 25,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के बीच होना चाहिए। इस संबंध में, समिति ने पाया कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के संबंध में पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 28,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, अन्य क्षेत्रों के लिए 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और कार्य योजना जिलों में एकीकृत वाटरशेड परियोजनाओं के लिए 28,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक संशोधित लागत मानदंड है। इसलिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए लागत मानदंड अन्य पक्ष मूल्यांकन में लागत मानदंडों की अनुशंसित सीमा से कम है। चूंकि लागत मानदंड को वर्तमान बाजार की स्थिति से जोड़ना आवश्यक है, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को मौजूदा लागत मानदंडों की पर्याप्तता की समीक्षा करनी चाहिए और अन्य पक्ष मूल्यांकन में मैदानों के लिए अनुशंसित लागत मानदंड को बढ़ाना चाहिए।

(सिफारिश क्र.सं. 6)

भू-संपत्तियों की सीमाओं (तटबंधों) पर वृक्षारोपण सुनिश्चित करके पूरी हो चुकी परियोजनाओं का संरक्षण

2.7 समिति का यह भी विचार है कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के पूरा होने के बाद परियोजनाओं की प्रभावकारिता पूरी तरह से रखरखाव और निगरानी तंत्र पर निर्भर है। हालांकि, भूमि संसाधन विभाग के तथ्यों और आंकड़ों की जांच करते हुए, समिति ने पाया कि स्टॉप डैम परियोजनाओं में से कई कंक्रीट से बने हैं जहां मिट्टी का क्षरण एक या दो साल बाद शुरू होता है। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि डीओएलआर इन संरचनाओं की लेखापरीक्षा

करे और एक दीर्घकालिक संरचना बनाने के लिए स्थानीय/स्वदेशी तकनीकों का प्रयोग करे। समिति इन पूर्ण परियोजनाओं की सीमाओं के साथ-साथ उन्हें किसी भी नुकसान से बचाने के लिए पेड़ लगाने की भी सिफारिश करती है।

(सिफारिश क्र.सं. 7)

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत और परियोजनाओं को शामिल करना

2.8 समिति नोट करती है कि हालांकि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत जल संचयन के निर्माण, सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत लाए गए क्षेत्र, वृक्षारोपण में वृद्धि, बंजर भूमि के उपचार आदि के संदर्भ में पर्याप्त प्रगति हुई है, भू जल के गिरते स्तर की समस्या पूरे देश में लाखों लोगों के जीवन और आजीविका के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रही है । समिति कई सदस्यों द्वारा उठाई गई इस समस्या से बहुत चिंतित है और इसलिए, प्रभावित क्षेत्रों जिनमें जल स्तर गिर रहा है उपयुक्त जल संचयन तकनीकों को नियोजित करके निष्क्रिय बोरवेल को रिचार्ज करने के लिए और परियोजनाओं को शामिल करने की सिफारिश करती है।

(सिफारिश क्र.सं.8)

निजी भूमि में खेत में तालाब व अन्य ढांचों पर ध्यान केन्द्रित करना

2.9 समिति का मानना है कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत संपत्ति का रखरखाव सभी हितधारकों और लाभार्थियों से सहयोग से होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि स्वामित्व को बढ़ावा देकर परियोजना को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए, समिति निजी कृषि भूमि में खेत में तालाब बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश करती है, जहां किसान अपने स्वयं के खेत में बनाई गई परि**संपत्ति के समग्र कामकाज की बेहतर देखभाल करेंगे।**

(सिफारिश क्र.सं.9)

डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)

2.10 डीओएलआर द्वारा दिए गए उत्तर से समिति नोट करती है कि विभाग का लक्ष्य 31.03.2026 तक पूरी गति के साथ डीआईएलआरएमपी के सभी घटकों को लागू करना है। 2024 तक 'वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन' (एक राष्ट्र एक पंजीकरण) को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। समिति का मानना है कि डीओएलआर द्वारा परियोजना में पूरे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, ताकि यह समयबद्ध तरीके से अपना वांछित परिणाम प्राप्त कर सके। समिति स्वीकार करती है कि योजना के एक बार वास्तविकता में परिवर्तित हो जाने के बाद भू-राजस्व/रिकॉर्ड प्रक्रियाओं के भार को निश्चित रूप से कम किया जा सकेगा। इस प्रकार, समिति डीओएलआर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश को कवर करने के लिए डीआईएलआरएमपी को शीघ्र पूरा करने के लिए जोर देती है।

(सिफारिश क्र.सं. 10)

डीआईएलआरएमपी: ई-पंजीकरण

2.11 समिति डीआईएलआरएमपी के तहत सभी घटकों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के साथ-साथ ई-पंजीकरण की पहल की प्रशंसा करती है। भू-अभिलेखों के कॉलम संख्या 12 में अदालती मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी को अद्यतन न करने जैसी कुछ कमियों को नोट करते हुए, जिसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी वाले लेनदेन होते हैं, समिति पुर;जोर सिफारिश करती है कि डीओएलआर सभी न्यायालयों जिसमे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालय और स्थानीय तहसील शामिल है, से संबंधित वास्तविक समय डेटा के साथ रिकॉर्ड का समय पर अद्यतन सुनिश्चित करे जो प्रामाणिक जानकारी के अभाव में एकाधिक पंजीकरण को रोकने में सहायता करेगा और वास्तविक मालिकों को संपत्ति का स्वामित्व प्रदान करेगा।

(सिफारिश क्रम संख्या 11)

बहुभाषी भू-अभिलेख

2.12 समिति ने नोट किया भूमि शासन में भाषाई बाधाओं की समस्या का समाधान करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डीएसी), पुणे के तकनीकी सहयोग से डीओएलआर, भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकारों के रिकॉर्ड को लिप्यंतरित करने की पहल की है। विभाग के अनुसार, 8 राज्यों - बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में एक प्रायोगिक परीक्षण चल रहा है और शीघ्र ही अखिल-भारतीय स्तर पर उपरोक्त पहल शुरू करने का लक्ष्य है। चूँकि भाषायी बाधाएँ 'रिकॉर्ड के अधिकारों' तक पहुँचने और समझने में गंभीर चुनौतियाँ पेश करती हैं, क्योंकि वे स्थानीय भाषाओं में बनाए जाते हैं, समिति सिफारिश करती है कि भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में 'रिकॉर्ड के अधिकारों' के लिप्यंतरण की यह परियोजना अखिल भारतीय स्तर पर समयबद्ध तरीके से लागू की जानी चाहिए। भू-अभिलेखों का भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में लिप्यंतरण भी उपलब्ध हो और इस संबंध में विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस संबंध में हुई प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।

(सिफारिश क्रम संख्या 12)

नई दिल्ली;

13 मार्च, 2023

22 फाल्गुन, 1944 शक

नारणभाई जे. राठवा
कार्यकारी सभापति
ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी
स्थायी समिति

अनुबंध-एक

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

समिति की गुरुवार, 09 फरवरी, 2023 को आयोजित छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1730 बजे से 1925 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध(पीएचए), नई दिल्ली में आयोजित हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए.के.पी. चिनराज
3. श्री विजय कुमार दुबे
4. श्री नरेन्द्र कुमार
5. श्री जनार्दन मिश्र
6. डा तालारी रंगैय्या
7. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा
8. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
9. डॉ. आलोक कुमार सुमन
10. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

11. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
12. श्रीमती शांता क्षत्री
13. श्री ईरण्ण कडाडी
14. श्री नारण भाई जे. राठवा

सचिवालय

1. श्री डी. आर. शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री सी. कल्याणसुंदरम - निदेशक
3. श्री विनय पी. बरवा - उप सचिव

भूमि संसाधन विभाग के प्रतिनिधि

(ग्रामीण विकास मंत्रालय)

1. श्री हुकूम सिंह मीणा : अपर सचिव
2. श्री खिल्ली राम मीणा : अपर सचिव (आरडी) और वित्तीय सलाहकार
3. डॉ. पी. के. अब्दुल करीम : आर्थिक सलाहकार
4. श्री सोनमोनी बोरह : संयुक्त सचिव (एलआर)
5. श्री उमाकांत : संयुक्त सचिव (डब्लूएम)

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

[तत्पश्चात् साक्षियों को बुलाया गया]

3. साक्षियों का स्वागत करने के बाद सभापति ने विभाग का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया कि यहां जो भी चर्चा की जाएगी उसे गोपनीय रखा जाएगा और उसके संबंध में सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसके बाद सभापति ने वर्ष 2023-24 के लिए विभाग की योजना-वार निधि आवंटन के बारे में मोटे तौर पर उल्लेख किया और सचिव से योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के साथ पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बजटीय आवंटन में भिन्नताओं के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया। तत्पश्चात्, सचिव, भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय आवंटन, विभिन्न वर्षों में निधियों के आवंटन और उपयोग और विभिन्न योजनाओं के तहत हुई प्रगति पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

4. तत्पश्चात, सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए बजट की पर्याप्तता, योजनाओं के कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव और विभिन्न योजनाओं के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा की गई प्रगति से संबंधित मुद्दों पर प्रश्न पूछे, जिनका साक्षियों ने उत्तर दिया ।

5. तत्पश्चात, सभापति ने भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और निर्देश दिया कि सदस्यों द्वारा उठाए गए अनुत्तरित प्रश्नों, जिनके उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे, के लिखित उत्तर यथाशीघ्र सचिवालय को भेजे जाएं।

[तत्पश्चात साक्षी चले गए।]
कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

अनुबंध-दो

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

समिति की सोमवार, 13 मार्च, 2023 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही उद्दरण

समिति की बैठक 1500 बजे से 1555 तक नई समिति कक्ष संख्या '1', संसद भवन एनेक्सी विस्तार भवन, ब्लॉक -'ए' (पीएचए-विस्तार 'ए'), नई दिल्ली.

उपस्थित

श्री नारणभाई जे राठवा - कार्यकारी सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए.के.पी चिनराज
3. श्री राजवीर दिलेर
4. डॉ. मोहम्मद जावेद
5. श्री नरेन्द्र कुमार
6. श्री जनार्दन मिश्र
7. श्रीमती गीताबेन वजेसिंगभाई राठवा
8. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
9. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
10. डा. आलोक कुमार सुमन
11. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

12. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला
13. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
14. श्रीमती शांता क्षत्री
15. श्री राम शकल
16. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

1. श्री डी.आर. शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री सी कल्याणसुंदरम - निदेशक
3. श्री विनय पी. बर्वा - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, समिति ने सभापति की अनुपस्थिति में लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 258(3) के अंतर्गत समिति के सदस्य श्री नारणभाई जे. राठवा को समिति की बैठक में सभापति के रूप में कार्य करने हेतु चुना। माननीय कार्यकारी सभापति ने xxxx xxxx xxxx xxxx भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) तथा xxxx xxxx xxxx xxxx से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी xxxx प्रारूप प्रतिवेदनों xxxx xxxx xxxx xxxx पर विचार करने और उन्हे स्वीकार करने हेतु बुलाई गई इस बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित xxxx प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया:-

(एक) xxxx xxxx xxxx;
(दो) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदान मांगे (2023-24)
(तीन) xxxx xxxx xxxx

4. प्रारूप प्रतिवेदनों पर क्रमवार विचार किया गया तथा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रतिवेधनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात, समिति ने कार्यकारी सभापति को उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हे संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

******

---

xxxx प्रारूप प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है